

कृषि नीति 2005

परिकल्पना

प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के धान्य भंडार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिये कृषि नीति के अन्तर्गत **सप्त क्रांति** – प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्ध, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत नवीनतम तकनीकी के हस्तांतरण हेतु आत्मा मॉडल लागू करने के लिये संगठनात्मक सुधार, जल संरक्षण तथा सिंचाई संसाधनों का इष्टतम उपयोग, मृदा उर्वरता बढ़ाने हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन तथा जैविक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा, उन्नत एवं गुणवत्तायुक्त बीज का उपयोग तथा आकस्मिक परिस्थितियों हेतु बीज बैंक की स्थापना, कृषक हितैषी विपणन व्यवस्था तथा कॉमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना, मशीनीकरण को प्रोत्साहन एवं कृषकोन्मुखी तथा बाजारोन्मुखी शोध को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि विविधीकरण हेतु राज्य स्तरीय मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा। कृषि संबंधी समस्त कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु कृषक होंगे।

Agriculture Policy 2005

Vision

In order to ensure the food and nutritional security of state population and to bring about qualitative improvement in village life by ensuring economic growth and prosperity of rural masses and to develop the state into a granary of the nation, emphasis shall be given under State Agriculture Policy on "**Sapt Kranti**" viz. extension, irrigation and water management, soil health and fertility, seed management, marketing, research and agriculture diversification. This will include organizational reforms the implementation of ATMA model for technology transfer and extension, water conservation and optimum use of irrigation resources, integrated plant nutrient management and encouraging use of biological resources for enhancing soil health and fertility and use of improved and quality seeds and establishment of seed banks for contingent use, facilities for farmer's friendly marketing setup and establishment of commodity exchange, promoting mechanization and farmers as well as market oriented research along with development of state level master plan for agriculture diversification. Farmers will be the central focus of all agricultural activities.

संकल्प

- प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर करते हुए 4 प्रतिशत कृषि विकास दर प्राप्त करना तथा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में वृद्धि।
- प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन, संरक्षण एवं उचित जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य सुधार तथा जैविक उपादानों का समुचित उपयोग।
- कृषि विकास, प्रसार एवं उत्पाद प्रबंधन तथा कृषि उत्पाद विपणन में राजकीय क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्रों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।

वर्तमान परिदृश्य

- प्रदेश के कुल 242.01 लाख हे० क्षेत्र में से 168.25 लाख हे० शुद्ध रूप से कृषि आच्छादित क्षेत्रफल है जिसका 74 प्रतिशत सिंचित है तथा 5.92 लाख हे० ऊसर तथा 9.13 लाख हे० बीहड़ भूमि है।
- सकल कृषित क्षेत्रफल 253 लाख हे० तथा फसल सघनता 150.39 प्रतिशत है।
- प्रदेश की कुल मुख्य कार्मिकों की संख्या 394.53 लाख (2000-2001) है, जिसमें 136.04 लाख कृषि श्रमिक हैं।
- प्रदेश में जोत का औसत आकार 0.86 हे० है।

Mission

- To achieve 4 per cent agricultural growth and to ensure self sufficiency in food grain production and to increase the contribution of agriculture in gross domestic product.
- To ensure efficient management of natural resources and their conservation through efficient water management, improvement in soil health and encouraging optimum utilization of bio-products.
- To encourage private sector participation in the field of agriculture development, extension, product management and marketing.

Present Status

- Of the total 242.01 lakh hectare reporting area of the state, the net cropped area is only 168.25 lakh ha., of which 74 percent is irrigated, 5.92 lakh ha. land is sodic, 9.13 lakh ha. is ravinous.
- The gross cropped area is 253 lakh ha. and the cropping intensity is 150.39 percent.
- Total work force in the state is 394.53 lakh (2000-2001) in which 136.04 lakh are agriculture labour.
- The average size of holding in the state is 0.86 ha.

- प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों का बाहुल्य है। कृषकों की संख्या की दृष्टि से इनकी संख्या क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 76 प्रतिशत है जिनके पास सकल जोत की भूमि का क्रमशः 24 प्रतिशत तथा 34 प्रतिशत है।
- वर्तमान में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 32.4 प्रतिशत है।
- प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2003-04 में 442.58 लाख टन था जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन 2120.50 लाख टन का 20.87 प्रतिशत है।
- प्रदेश में वर्ष 2003-04 में गेहूँ का कुल उत्पादन 255.67 लाख टन हुआ जो राष्ट्रीय उत्पादन के 35.48 प्रतिशत के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश की मुख्य नकदी फसल गन्ना का वर्ष 2003-04 में कुल उत्पादन 1127.54 लाख टन हुआ जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन 2361.8 लाख टन के 47.74 प्रतिशत के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश में वर्ष 2003-04 में कुल चावल उत्पादन 130.22 लाख टन हुआ जो राष्ट्रीय उत्पादन का 14.97 प्रतिशत के साथ देश में द्वितीय स्थान पर है।
- प्रदेश में लगभग 95.04 लाख टन फलों का उत्पादन होता है जो राष्ट्रीय उत्पादन का 20 प्रतिशत है।
- There is a preponderance of small and marginal farmers in the state, comprising 14 percent and 76 percent respectively of the total farmers, however these groups own only 24 percent and 34 percent of the land area respectively.
- The present contribution of agriculture in gross domestic products of state is 32.4 percent.
- The total foodgrain production in the state during 2003-04 was 442.58 lakh tonnes which is 20.87 percent of the country's total production of 2120 lakh tonnes.
- The state produced 255.67 lakh tonnes of wheat in 2003-04, which is 35.48 percent of the national production and the highest among all states.
- The main cash crop in the state is sugarcane, with a production of 1127.54 lakh tonnes in 2003-04 which is 47.74 percent of total production of 2361.8 lakh tonnes in the country and highest among all the states.
- The state produced 130.22 lakh tonnes of rice in 2003-04, which is 14.97 percent of the national production and the second highest among all states.
- The state produces about 95.04 lakh tonnes of fruits, which is 20 percent of the national produce.

- प्रदेश में आलू का वर्ष 2003–04 में 88.26 लाख टन उत्पादन हुआ जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 38.11 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश में वर्ष 2003–04 में 250.67 लाख टन शाक–सब्जी उत्पादन हुआ जो राष्ट्रीय उत्पादन के 44 प्रतिशत के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश में अनुमानतः 6325 हे० क्षेत्र में फूलों की खेती तथा विभिन्न जनपदों के काफी क्षेत्र में औषधि एवं सुगंध फसलों की खेती की जाती है।
- प्रदेश में भैंसों एवं गायों की संख्या देश के सापेक्ष क्रमशः 24 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत है।
- प्रदेश में कुल दुग्ध उत्पादन 159.43 लाख टन के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश, वर्ष 2004–05 में 2.77 लाख टन मछली उत्पादन के साथ देश में तृतीय स्थान पर है।
- प्रदेश में कुल रेशम उत्पादन मात्र 18 मीट्रिक टन (2001–02) है।
- प्रदेश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता वर्ष 2001–02 में 2.74 कुन्तल थी।
- प्रदेश में सरकारी ऋण का संस्थागत ढाँचा अपेक्षाकृत दुर्बल है तथा 1800 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ वित्तीय दृष्टि से जर्जर अथवा निष्क्रिय हैं।
- The state is also the largest producer of potato with a production of 88.26 lakh tonnes in 2003-04 in the country with 38.11 percent of the country's production and highest among all the states.
- The production of vegetables in the state in 2003-04 is 250.67 lakh tonnes which is 44 per cent of the country's total production and highest among all the states.
- The area covered under floriculture in the state is estimated to be around 6325 ha. and large areas of different districts are devoted to cultivation of medicinal and aromatic plants.
- The state has 24 percent of the country's buffalo and 15 percent of the cow population.
- The total milk production in the state is 159.43 lakh tonnes, the highest among all states.
- The annual fish production in the state is about 2.80 lakh tonnes and third highest among all the states.
- The silk production in the state is 43 metric tonnes.
- Per capita availability of food grains in the year 2001-02 was 2.74 qtl.
- The institutional structure of cooperative credit is relatively weak in the state. More than 1800 primary agriculture cooperative societies are financially weak or inactive.

- यद्यपि प्रदेश में 307 लाख हे० सिंचन क्षमता विकसित है तथापि सकल सिंचित क्षेत्रफल मात्र 182 लाख हे० है किन्तु इस क्षेत्रफल में भी प्रत्येक फसल के लिये वांछित संख्या में सिंचाई नहीं मिल पाती है। अनेक क्षेत्रों में नहरों के अन्तिम छोर तक पानी न पहुँचने की भी गम्भीर समस्या है।
- भूगर्भ जल की उपलब्धता के दृष्टिकोण से प्रदेश के 22 विकास खण्ड क्रॉतिक एवं 53 अर्द्ध क्रॉतिक श्रेणी में वर्गीकृत हैं।
- वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति मात्र 10 घंटे प्रतिदिन है।
- प्रदेश में कृषि में उच्च शिक्षा कृषि विश्वविद्यालयों, 2 कृषि विज्ञान संस्थानों तथा 30 कृषि महाविद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इन संस्थानों में प्रत्येक वर्ष 5200 कृषि स्नातक तथा 1400 कृषि स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान की जाती हैं।
- विगत सर्वेक्षण (1999–2000) के अनुसार प्रदेश में लगभग 31 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।
- Although the irrigation capacity for 307 lakh ha. has been developed in the state, the gross irrigated area is only 182 lakh ha. Even in this area every crop does not get adequate irrigation. In many areas there is a serious problem of irrigation water not reaching to the tail ends of the canals.
- From the view point of availability of ground water, 22 and 53 development blocks have been put in the category of 'dark' and 'grey' respectively.
- At present electric power supply to rural areas is only 10 hrs. per day.
- Higher education in agriculture in the state is imparted through three State Agriculture Universities, two Institutes of Agricultural Sciences and 30 Degree Colleges. Every year 5200 agriculture graduates and 1400 post-graduates pass out from these institutions.
- According to last survey (1999-2000), 31 per cent population of the state is living below the poverty line.

भावी चुनौतियाँ

यद्यपि कृषि विकास की खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है किन्तु अलग-अलग क्षेत्रों, फसलों एवं कृषक समुदायों के विभिन्न वर्गों का संतुलित विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है। बहुत ही छोटी जोतों के साथ-साथ कम उत्पादकता, अधिक उत्पादन लागत, फसलोत्तर प्रबन्धन तथा प्रसंस्करण की कमी के कारण प्रदेश में कृषि एक अलाभकारी व्यवसाय बन कर रह गया है। कृषक कृषि को छोड़कर दूसरे लाभ वाले धन्धों की खोज में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हाल में ही हुए विश्व व्यापार समझौते के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के आ जाने के कारण कृषि में उत्पादन लागत को कम करते हुये गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त करना प्रदेश के समक्ष एक चुनौती है।

निरन्तर बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन, अनियोजित औद्योगीकरण व नगरीकरण, नदियों, झीलों, तालाबों तथा खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग व बढ़ते उपभोक्तावाद के कारण वायु, जल, मृदा व ध्वनि प्रदूषण, भूक्षरण, भूस्खलन, चारे और ईंधन की कमी जैसी विविध बहुआयामी एवं दूरगामी प्रभाव वाली समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र

Challenges Ahead

Agriculture development played a seminal role in achieving self sufficiency in food grain production, but balanced development in different regions, crops and various categories of farmers and judicious utilization of natural resources could not be ensured. Agriculture has become a non-profitable activity due to low productivity along with small land holdings, higher cost of production and lack of post-harvest management and processing facilities in the state. Farmers are forced to migrate to the urban areas in search of alternative profitable activities in place of agriculture. Due to the inclusion of agriculture in World Trade Agreement recently, if immediate steps are not initiated for making it a profitable activity by ensuring quality production with low cost of production, the situation in rural areas may become difficult in near future.

The continuous increase in population, irrational exploitation of natural resources, unplanned industrialization and urbanization, imbalanced use of chemical fertilizers and pesticides and increase in consumerism has led to air, water, soil and noise pollution, which is expected to result in multi-dimensional problems with long term effects.

प्रायः सीमित है, अतः उसका विस्तार आंशिक रूप से ही संभव है, किन्तु श्रम, पूँजी एवं कृषि ज्ञान की सहायता से गुणवत्तायुक्त उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि की जा सकती है। कृषि क्षेत्र में प्रचलित ऊर्जा स्रोतों के साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संसाधनों के उपयोग से एक ओर प्रचलित ऊर्जा स्रोतों पर दबाव कम होगा साथ ही कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है जिससे कृषकों की सकल आय में वृद्धि हो सकेगी। अतः प्रदेश कृषि के बहुआयामी विकास की वृहद संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने हेतु प्रदेश को निम्न चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषि नीति का निर्धारण करने की आवश्यकता है:—

- प्रदेश के आम नागरिकों की खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा तथा फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।
- विश्व व्यापार संगठन के परिप्रेक्ष्य में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पादन एवं कृषि उत्पादों की लागत में कमी लाना।
- प्राकृतिक संसाधनों के विकास, संरक्षण एवं इनका समुचित एवं तर्कसंगत उपयोग।
- पर्यावरण संतुलन को बनाये रखते हुए स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित कराना।

There is partial scope for area expansion in the area under cultivable land, however qualitative production can be increased through use of labour, capital and agricultural knowledge. In agriculture sector, the exploitation of non-conventional energy resources along with conventional resources will not only reduce the burden on conventional energy sources but will also improve the quality and productivity of agriculture produce which will help in increasing the overall income of farmers. Therefore, in order to achieve the multi dimensional potential of agriculture development in the state, it is imperative to prepare a framework for Agriculture Policy keeping in view the following future challenges in the state:-

- To ensure food and nutritional security to the state's population and increasing the productivity of agriculture crops,
- To improve the qualitative crop production and reducing the cost of production of agriculture produce in the context of World Trade Organization.
- To ensure efficient management and conservation of natural resources.
- To ensure clean and pollution free environment in order to maintain the ecological balance.

- निर्बल लघु एवं सीमान्त कृषकों के हितों के संरक्षण हेतु जोतों को लाभकारी बनाना।
- निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन।
- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर कृषकों को ग्रामीण स्तर पर आय एवं रोजगार के स्रोत उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर निर्भरता में कमी लाना।

लक्ष्य

- मूल रूप में उत्पादकता एवं फसल सघनता में वृद्धि तथा आंशिक रूप से क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुए कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना।
- प्रदेश कृषि में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों का प्रोत्साहन।
- पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धतियों का विकास करना जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके।
- पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने के लिये प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं संरक्षण।
- खाद्य पोषण सुरक्षा में समर्थता बनाये रखते हुए कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि के लिये मूल्यवर्धित उत्पादन विविधीकरण को प्रोत्साहन।

- To make small holdings profitable in order to ensure the interest of small and marginal farmers.
- To encourage participation of private sector.
- To promote agriculture based industries to increase the income and generate employment at rural level for reducing the dependence on agriculture.

Goals

- To achieve a growth rate of above 4 percent in agriculture production essentially by raising productivity and cropping intensity and to some extent by also increasing the cropped area.
- To encourage globally recognised standards in agriculture in the state.
- To develop appropriate eco-friendly farming systems which would improve soil health.
- To develop and conserve natural resources for maintaining ecological balance.
- In order to substantially increase the income of farmers, production diversification towards high value activities, while retaining core-competence in the area of food/nutritional security.

- संविदा कृषि को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुए बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा प्रसार क्षेत्रों में अवस्थापनाओं का विकास।

रणनीति

- मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि कर उत्पादकता बढ़ाना।
- सामयिक गुणवत्ता वाले कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जैविक नियन्त्रकों एवं फसलोत्तर प्रबन्धन के माध्यम से उत्पादन लागत कम करना।
- मूल्य सम्वर्धन के द्वारा कृषि उत्पाद मूल्य में वृद्धि।
- वैकल्पिक ऊर्जा एवं संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना को प्रोत्साहित करना।
- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर भूमिहीन कृषकों को स्वावलम्बी बनाते हुए कृषि पर निर्भरता कम करना।

- To develop infrastructural facilities in sectors of seeds, fertilizers, pesticides, agriculture implements and extension by way of contract farming.

Strategies

- Increasing productivity by improving soil health.
- Ensuring timely availability of quality inputs.
- Reduction in cost of cultivation by way of better crop management and use of bio-products
- Increasing the profitability of agriculture produce by way of value addition.
- Promoting utilization of non-conventional energy resources.
- Ensuring private sector participation.
- Encouraging development of infrastructure at rural level.
- Promoting agriculture based industries in order to make landless labour self dependent and decreasing the dependency on agriculture.

1. प्रदेश की जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना

प्रदेश के आम नागरिकों की खाद्य एवं पोषक तत्व सुरक्षा कृषि की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 442.58 लाख टन है, जिसमें धान्य 418.78 लाख टन, दलहन 23.80 लाख टन तथा तिलहन 9.28 लाख टन है। वर्ष 2020 तक प्रदेश की जनसंख्या लगभग 26 करोड़ होने का अनुमान है जिसके लिये धान्य की 424 लाख टन, दलहन की 71.39 लाख टन तथा तिलहन की 54.19 लाख टन की आवश्यकता होगी। पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उत्पादकता

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

- क्षेत्र विशेष के लिये उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप कृषि पद्धतियों का विकास।
- टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिये प्रबन्धन तकनीक का विकास।
- फसल सघनता में वृद्धि।
- विज्ञान की नई तकनीक यथा जैव प्रौद्योगिकी, प्रिंसीजन फार्मिंग को प्रोत्साहन।
- एकीकृत पोषक तत्व एवं नाशीजीव प्रबन्धन को बढ़ावा।
- उत्पादकता में अभिवृद्धि हेतु मौन पालन को प्रोत्साहन।
- आगतों की समय से उपलब्धता के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त आगतों की आपूर्ति तथा जैविक उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा।
- मृदा एवं कीटनाशक परीक्षण सुविधाओं का सुदृढीकरण।

1. Ensuring food and nutritional security to the state population

Food and nutritional security is of utmost importance to the state. Presently the total food grain production in the state is 442.58 lakh tonnes, in which production of cereal is 418.78 lakh tonnes, pulses 23.18 lakh tonnes and oilseeds 9.12 lakh tonnes. It is estimated that by the end of 2020, the state population will reach 26 crore mark for which 424 lakh tonnes of cereals, 71.39 lakh tonnes of pulses and 54.19 lakh tonnes of oilseeds will be required. For ensuring the nutritional security of the population, emphasis will be laid on increasing the production and productivity of pulses and oilseeds crops.

Food and Nutritional Security

- Development of location specific package of practices based on available resources.
- Development of management techniques for sustainable agriculture.
- Increase in cropping intensity.
- Encouragement to new scientific techniques as bio-technology and precision farming.
- Promotion of integrate nutrients and pest management.
- Encouragement to bee-keeping for increasing productivity.
- Timely supply of quality inputs and promoting use of bio-produce.
- Strengthening the facilities for soil and pesticides quality testing.

एवं उत्पादन बढ़ाने पर यथेष्ट बल दिया जायेगा। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा कृषि उत्पादों की अन्य माँगों को पूरा करने के लिये एवं लघु तथा सीमांत कृषि को लाभकारी बनाने के लिये खाद्यान्न फसलों के साथ-साथ अन्य फसलों का समावेश करते हुए फसल सघनता बढ़ाकर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी। समस्याग्रस्त भूमियों का सुधार कर उन्हें कृषि के उपयोग में लाया जायेगा तथा क्षेत्र विशेष की जलवायवीय, परिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय स्थितियों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लाभकारी एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ विकसित की जायेंगी। इन कृषि पद्धतियों के विभिन्न घटकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये विज्ञान की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जायेगा। विभिन्न जलवायुवीय परिस्थितियों के अनुसार फसलों (खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल, शाकभाजी, आलू) की उन्नत प्रजातियों, जल प्रबन्धन, उर्वरक प्रबन्धन, कीट एवं रोग प्रबन्धन तकनीकों का विकास किया जायेगा तथा आनुवांशिक सुधार के लिये जैव प्रौद्योगिकी को अपनाया जायेगा। उत्पादकता में अभिवृद्धि हेतु कृषकों को विभिन्न आगतों यथा उन्नत एवं संकर बीज, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री, उर्वरक, सिंचाई सुविधा, कृषि रक्षा रसायन तथा कृषि यंत्रों की आपूर्ति एवं ऋण सुविधा समय पर सुनिश्चित की जायेगी तथा मौन पालन को बढ़ावा दिया जायेगा।

In order to ensure food and nutritional security, to fulfill the demand of food and other products and to make marginal and small land holdings profitable, agriculture production and productivity will be increased by incorporating high value crops in the cropping systems.

Problematic soils will be used for cultivation after their proper reclamation. On the basis of agro-climatic zones and agro-ecological situations/ farming situations and availability of resources, locations specific and sustainable package of practices will be developed. For increasing the productivity of different components, of the cropping systems, appropriate and latest scientific techniques will be followed. Improved high yielding varieties of cereals, pulses, oilseeds, potato, fruits and vegetable crops will be introduced. Management techniques in the areas of irrigation, fertilizer and diseases and pest control will be developed and implemented. For genetic improvement biotechnological techniques will be adopted. For increasing the productivity and production, timely supply of quality inputs like seeds, fertilizers, plant protection chemicals, agricultural implements and credit will be ensured. Bee keeping will also be promoted for enhancing cross pollination.

प्रदेश में मृदा परीक्षण, उर्वरक एवं कीटनाशकों के परीक्षण से संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा। भूमि की उर्वरा शक्ति के दीर्घकालीन संरक्षण, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा उसे टिकाऊ स्वरूप प्रदान करने के लिये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ जैव उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया जायेगा।

2. प्राकृतिक संसाधन का इष्टतम उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन को प्राथमिकता

कृषि के लिये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को तकनीकी दृष्टि से उचित, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी, पर्यावरण हितैषी तथा सामाजिक दृष्टि से व्यवहारिक एवं दीर्घकालिक बनाया जायेगा।

2.1 भूमि प्रबंधन

प्रदेश की भूमि की इन्वेंट्री तैयार कर के उपयुक्तता के आधार पर इसे उपयोग में लाये जाने की सूचना ऑनलाईन उपलब्ध कराई जायेगी। भूमि उपयोग सम्बन्धित सूचनाओं का निरंतर अनुश्रवण किया जायेगा तथा इन आँकड़ों में आये बदलाव को प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल पर अद्यतन किया जायेगा। ऊसर, बंजर, बीहड़, परती एवं दियारा के रूप में उपलब्ध बेकार एवं समस्याग्रस्त भूमियों को सुधार कर उन्हें

Soils, fertilizers and pesticides testing laboratories of the state will be strengthened. For conserving the fertility of soils and sustaining pollution free and hygienic environmental conditions integrated nutrients and pest management will be encouraged and emphasis will be given to the application of bio-pesticides and bio-fertilizers.

2. Efficient utilization of natural resources and environment management

Efficient and judicious utilization of Natural Resources for agriculture would be ensured considering its technical feasibility, economic viability and eco-friendliness besides its social acceptability.

2.1 Soil Management

On line availability of information regarding inventory of land resources based on their capabilities will be ensured. Land use pattern would be monitored regularly and changes if any, would be updated at every five years interval. Waste and degraded lands available in the form of user barren, ravine, fallow and diara would be reclaimed and subsequently utilized for agriculture, horticulture, forestry and pasture. The farmers are not getting any income from the sodic

कृषि, बागवानी, वानिकी एवं चारागाह के रूप में विकसित कर उपयोग में लाया जायेगा।

मृदा प्रबन्धन

- इन्वेन्ट्री तैयार कर उपयुक्तता के आधार पर भू उपयोग।
- समस्याग्रस्त भूमियों का सुधार कर कृषि में उपयोग।
- भूमि की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग को बढ़ावा।
- चारागाहों एवं वन भूमि का समुचित उपयोग।

प्रदेश की ऊसर, बंजर भूमि, जिससे किसानों को अभी कोई आय नहीं हो रही है, पर 'पब्लिक-प्राइवेट पंचायत पार्टनरशिप माडल' के तहत किसानों, स्वयं सहायता समूहों आदि को बायोडीजल के पौधे यथा-जेट्रोफा, रतनजोत आदि को लगाकर बायोडीजल उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

असिंचित एवं भूमिक्षरण प्रभावित क्षेत्रों का प्रबन्धन जलागम के आधार पर किया जायेगा, जिसमें वानस्पतिक एवं अभियंत्रण उपायों का एकीकृत प्रयोग कर जल प्रबन्धन एवं शस्य क्रियाओं का निर्धारण किया जायेगा। जलागम कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि गाँव की साझा सम्पत्ति जैसे साझा चारागाह, वन तथा गाँव के जल स्रोतों के स्वामित्व को निर्धारित किया जाये, जिससे जलागम में आने वाले सभी

and waste lands in the state. On the basis of '**public-private panchayat partnership model**',

Soil Management

- Inventorization of land resources and their utilization according to their capability.
- Utilization of degraded lands in agriculture after improvement.
- Promotion of IPNM, organic farming and utilization of soil health card for soil management and thereby ensuring soil health.
- Proper utilization of pasture and forest lands.

the self help groups of farmers will be encouraged for the plantation of Jetropha, Ratanjot, etc. for production of bio diesel.

The unirrigated and erosion affected lands will be managed through integrated watershed management approach using vegetative, mechanical and agronomical measures. For the success of watershed management programme, the ownership of the common village resources such as pasture lands, forest and water resources will be decided in such a way so that they can be utilized by all the villagers living in the command of concerned watershed. If required, necessary changes in existing law will be made.

गाँव के कृषक उसका उपयोग कर सकें। इसके लिए उपलब्ध अधिनियमों में सुधार किया जायेगा।

ऊसर भूमि के सुधार एवं प्रबन्धन की तकनीक को सस्ता तथा टिकाऊ बनाया जायेगा। उथले जल स्तर वाले ऊसर क्षेत्रों के लिए सहिष्णु फसलों की उन्नत प्रजातियों का उपयोग कर ऊसर सुधार की लागत को कम किया जायेगा।

मृदा की उर्वरता को बढ़ाने एवं उसे स्थाई रूप देने के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन हेतु फसल चक्रों में दलहनी फसलों का समावेश, हरी खाद के प्रयोग, फसल के अवशेषों एवं गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट, नाडेप आदि का समावेश मृदा की भौतिक, रसायनिक एवं जैविक स्थिति सुधारने के लिए किया जायेगा। गेहूँ, धान एवं गन्ने आदि की कटाई के बाद फसल अवशेष को जलाने के स्थान पर उसके संरक्षण, उपयुक्त प्रबन्धन एवं उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। मृदा प्रयोगशाला के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी प्रक्षेत्रों में मृदा पोषक तत्वों का परीक्षण पाँच वर्ष के अन्तराल पर किया जायेगा तथा भूमि की उर्वरता बनाये रखने हेतु उचित उपाय किये जायेंगे तथा मृदा

The usar reclamation and their management technology would be made more cost effective and sustainable. The cost of usar reclamation in shallow water table areas would be reduced through the use of salt tolerant crops and their varieties.

To improve the soil fertility on sustainable basis, integrated plant nutrient management approach will be promoted by incorporating pulses and green manuring crops in cropping pattern and use of various type of organic manures, eg., vermi-compost, NAAEP, FYM. Instead of burning the crop residues after harvesting rice, wheat and sugarcane, management techniques for their appropriate utilization will be promoted. At five years interval, soil testing of all the fields will be done by the soil testing laboratory of that area and necessary measures will be adopted to maintain the soil fertility level. Use of soil health cards be popularized and organic farming will be promoted to improve and maintain soil health.

Pasture and forest lands will be developed for growing of grasses, forage, fuel and timber trees to cater local needs.

स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। मृदा की उर्वरता एवं गुणवत्ता बनाये रखने हेतु जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा।

गाँव के चरागाहों एवं वन भूमि का विकास कर उन्हें पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त घास एवं चारा वृक्ष उगाने तथा जलाऊ एवं इमारती लकड़ी हेतु वृक्ष उगाने के काम में लाया जायेगा।

2.2 जल संसाधन प्रबंधन

प्रचुर जल संसाधन से सम्पन्न उत्तर प्रदेश में सिंचाई के विकास की अपार संभावनाएँ हैं। सिंचाई सुविधाओं के विकास, प्रबन्धन एवं उपयोग पर बल देकर सिंचाई क्षमता में विकास किया जायेगा। नहर समादेश क्षेत्रों में सृजित सिंचाई क्षमता एवं

जल संसाधन प्रबंधन

- जल का समुचित उपयोग तथा असिंचित एवं भूक्षरण प्रभावित क्षेत्रों में जलागम प्रबन्धन।
- बढ़ते भूगर्भ जल स्तर वाले क्षेत्रों में उथले नलकूपों को प्रोत्साहन।
- उपभोक्ता समितियों को अल्पिकाओं के संचालन एवं रखरखाव का दायित्व।
- नहरों में छोर तक पानी की उपलब्धता।
- नहरों के किनारे इन्टरसेप्टर ड्रेन्स एवं बायोड्रेनेज का निर्माण।
- जल निकास प्रणाली के विकास एवं संरक्षण को प्राथमिकता।
- बाढ़ प्रभावित एवं जलमग्न क्षेत्रों का आर्थिक लाभ हेतु विकास।
- गिरते भूगर्भ जल स्तर के क्षेत्रों में भूमिगत जल के रिचार्ज की रणनीति।
- असमतल क्षेत्रों में टपक एवं बौछारी सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा।

2.2 Water Resource Management

Considering the huge water resources of the state, there is ample opportunity to develop further irrigation facilities. Emphasis will be given on development and management of irrigation facilities in order to improve the water use efficiency. To bridge the gap between surface irrigation potential created and utilized, minors will be operated and managed by Water Users Association (WUA) formed by the Department of Irrigation, Govt. of Uttar Pradesh. In high water table areas, development of shallow tubewells will be encouraged. Irrigation charges will be

Water Resource Management

- Efficient use of water resources available and watershed management in rainfed and eroded areas.
- Promotion of shallow tubewells in high water table areas.
- Handing over minors to Water User Associations (WUAs) for their operation and maintenance.
- Assured water availability at tail ends of canal.
- Promotion of bio-drainage and construction of interceptor drains along the canals in seepage zones.
- Development and maintenance of drainage network.
- Development of flood prone and water logged areas for their economic use.
- Ground water recharge strategies for declining ground water table areas.
- Promotion of drip and sprinkler systems of irrigation in undulated and water scarce areas.

सकल सिंचित क्षेत्र के अन्तर को कम करने हेतु अल्पिकाओं के संचालन एवं रखरखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समितियों को सौंप कर उपलब्ध जल की सिंचाई दक्षता बढ़ाई जायेगी। बढ़ते भूगर्भ जल स्तर वाले क्षेत्रों में उथले नलकूपों के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा। नहर समादेश में भूजल एवं नहरी सिंचाई के समन्वित विकास के लिये नलकूप एवं नहर सिंचाई की दरों में समरूपता लाई जायेगी तथा अधिक पानी चाहने वाली फसलों का समावेश कर फसल सघनता बढ़ाई जायेगी। नहरों के किनारे इन्टरसेप्टर ड्रेन्स बनाकर एवं बायोड्रेनेज के अन्तर्गत पौध रोपण करके जल भराव क्षेत्रों को नियंत्रित किया जायेगा। जलभराव के क्षेत्रों में जल निकास प्रणाली के विकास एवं संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। सिंचन बारम्बारता बढ़ाने तथा अतिरिक्त सिंचन क्षमता के विकास पर बल दिया जायेगा जिसमें अन्य प्रचलित संसाधनों के अतिरिक्त सोलर सिंचाई पम्प का भी उपयोग करने पर बल दिया जायेगा। नहरों की धारण क्षमता में वृद्धि तथा उनकी सफाई इत्यादि कर छोर तक पानी की उपलब्धता पर बल दिया जायेगा। बाढ़ प्रभावित एवं जलमग्न क्षेत्रों का चिन्हांकन कर उन्हें उपयुक्तता के आधार पर आवश्यकतानुसार जल निकास की व्यवस्था कर आर्थिक लाभ हेतु विकसित किया जायेगा।

rationalised to promote conjunctive use of surface and ground water resources in canal command areas. Cropping intensity will be increased and water loving crops will be promoted in shallow water table areas, particularly in the canal commands. Along the canals, in seepage zones bio-drainage measures will be adopted and interceptor drains will be constructed.

Priority will be given for the development and maintenance of drainage network in water logged areas. Irrigation frequency will be increased by creating additional irrigation potential with special emphasis on use of solar pumps. Desilting and rehabilitation of canals be given priority to improve water carrying capacity and assured water availability at tail ends. Flood prone and water-logged areas will be identified and developed for their economic use following appropriate measures.

गिरते भूगर्भ जलस्तर के क्षेत्रों में भूमिगत जल के रिचार्ज एवं वर्षा जल संचयन के लिये तालाबों, पोखरों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण किया जायेगा। इन क्षेत्रों में बागवानी, वृक्षारोपण एवं कम जल चाहने वाली फसलों की प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। जल का समुचित उपयोग करने हेतु उपयुक्त सिंचाई विधियों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। असमतल क्षेत्रों में टपक एवं बौछारी सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा दिया जायेगा। प्रदेश के 22 विकास खण्ड क्रांतिक एवं 53 अर्द्धक्रांतिक श्रेणी में वर्गीकृत हैं। ऐसे क्षेत्रों में लघु सिंचाई हेतु बोरिंगों को नियंत्रित करने के साथ-साथ जल संरक्षण हेतु कुँए तथा जलाशयों का जीर्णोद्धार एवं प्रबन्धन किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों में भूगर्भ जल के दोहन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दो बोरिंगों के मध्य न्यूनतम दूरी के जनपदवार मानकों को गंभीरता से लागू किया जायेगा। खारे जल वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और नहरों के जल के साथ मिश्रित कर सिंचाई में प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

Ponds, tanks and water bodies will be renovated to conserve moisture and recharge ground water in declining ground water table areas. In these areas, less water requiring crops will be promoted. For efficient use of irrigation water, improved irrigation methods will be popularized and drip and sprinkler systems will be promoted in undulated areas. In 22 critical and 53 semi critical blocks, water recharging measures will be adopted including rehabilitation of open wells and water bodies to arrest the decline in water-table. Further, recommended spacing between two borings will be enforced strictly. In areas having salt affected ground water, rain water harvesting measures will be adopted and blending of surface and ground water resources will be encouraged.

2.3 पर्यावरण प्रबंधन

प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं जैविक सम्पदा का स्थायी/अस्थायी रूप से ह्रास हो रहा है। पारंपरिक एवं विलुप्त होते पादप किस्मों/प्रजातियों को स्वस्थाने एवं परस्थाने (*ex-situ*) से एकत्रित कर संरक्षण किया जायेगा, जिसके लिए प्रदेश में जीन बैंकों की स्थापना की जायेगी तथा भविष्य में संरक्षित जननद्रव्यों का जैव प्रौद्योगिकी एवं अन्य प्रजनन विधियों में प्रयोग कर फसलों की अधिक उत्पादन एवं कीट-रोग प्रतिरोधी प्रजातियों के विकास में प्रयोग किया जायेगा।

पर्यावरण प्रबन्धन

- पारंपरिक एवं विलुप्त होती पादप किस्मों/प्रजातियों का संरक्षण तथा जीन बैंक की स्थापना।
- हानिकारक तत्वों से प्रभावित भूजल क्षेत्रों का चिन्हांकन कर लागत प्रभावी तकनीकों का विकास।
- मृदा एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण।
- शहरी गंदे पानी, औद्योगिक अपशिष्टों एवं अवशेषों का सुरक्षित निस्तारण/ उपयोग।

आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ऑयसन एवं अन्य हानिकर तत्वों से प्रभावित भूजल क्षेत्रों का चिन्हांकन कर लागत प्रभावी तकनीकों के विकास हेतु अनुसंधान किया जायेगा, तदनुसार उनके उपयोग की रणनीति बनाई जायेगी। मृदा एवं जल

2.3 Environment Management

State's natural resources viz. land, water and flora and fauna are being depleted short term as well as long term basis. Gene bank will be established for in-situ and ex-situ conservation of traditional and depleting plant resources. Conserved genetic plant material will be used for the development of high yielding insect-pest resistant varieties with the use of bio-technological tools and other plant improvement methods.

Environment Management

- Conservation of traditional endangered plant germplasm/ varieties and establishment of gene bank.
- Identification of polluted ground water areas and research for development of cost effected technologies for their use.
- Management of soil and water pollution.
- Safe disposal and utilization of urban waste, industrial waste and residues.

Ground water contaminated areas with the arsenic, fluoride, nitrate, iron and other heavy metals will be identified and research projects will be supported to develop cost effective technologies to combat these problems. To reduce soil and water pollution problem due to continuous use of inorganic fertilizers and other chemicals, the integrated approach i.e. IPM and IPNM will be popularized. Safe disposal of industrial and sewage water will be ensured.

प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु रसायनिक उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग को सीमित करने के लिये एकीकृत फसल प्रबन्धन तकनीक को प्रोत्साहित किया जायेगा। शहरी गंदे पानी, विभिन्न औद्योगिक अपशिष्टों एवं अवशेषों को चिन्हित कर इसके सुरक्षित निस्तारण/उपयोग पर बल दिया जायेगा।

3. क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर नियोजन

प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायवीय एवं आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थापनाओं, प्राकृतिक संसाधनों, फसल पद्धतियों एवं फसल उत्पादन की विशिष्टताओं में काफी अन्तर है। इस हेतु प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायवीय परिस्थितियों की विशेषताओं का अधिकतम लाभ लेने एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों में अधिकतम उत्पादन के लिये

क्षेत्रीय नियोजन

- क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर नियोजन एवं प्रबन्धन।
- विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के लिये उपयुक्त एवं लाभप्रद कृषि पद्धतियों का विकास।
- विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपयुक्त फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन।
- बुन्देलखण्ड, विन्ध्यन आदि विभिन्न विशिष्टताओं वाले क्षेत्रों के लिये विशेष पैकेज।
- क्षेत्रानुसार विकास खण्ड स्तर पर जैव नियंत्रकों का उत्पादन एवं वितरण।
- पारंपरिक तकनीकी ज्ञान का एकत्रीकरण एवं उपयुक्तता के आधार पर इसके उपयोग को प्रोत्साहन।

3. Regional Planning

There is a wide variation in infrastructure facilities, natural resources, farming systems and crop production in various agro-climatic and economic regions of the state. Therefore, special emphasis will be given on regional planning to take advantage of diverse agro-climatic conditions for maximum production under local conditions.

Considering agro-ecological situations and other parameters, suitable area specific programmes will be developed.

Regional Planning

- Planning and management on the basis of regional peculiarities.
- Development of appropriate and beneficial farming systems for different agroclimatic zones.
- Emphasis on area specific suitable crops.
- Specific packages for specific regions such as Bundelkhand Vindhan etc.
- Production and distribution of bio-agents at block level.
- Compilation of ITK and its execution after validation.

क्षेत्रीय नियोजन पर विशेष बल दिया जायेगा।

स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत अपेक्षित उपयुक्त योजनायें/कार्यक्रम क्षेत्र की कृषि जलवायवीय एवं अन्य परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में तैयार किये जायेंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं का व्यापक लाभ किसान उठा सकें। विभिन्न कृषि जलवायवीय परिस्थितियों की विशेषताओं का अधिकतम लाभ लेने की दृष्टि से विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपयुक्त फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिसके लिये उन सीमित क्षेत्रों के किसानों को ही अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के लिये उपयुक्त एवं लाभप्रद कृषि पद्धतियों का विकास एवं प्रसार किया जायेगा। बुन्देलखण्ड, विन्ध्यन आदि विभिन्न विशिष्टताओं वाले क्षेत्रों के लिये विशेष पैकेज के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रानुसार फसलों की कीट एवं रोग प्रतिरोधी प्रजातियों के विकास के साथ-साथ एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन की तकनीक का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार विकास खण्ड स्तर पर जैव नियंत्रकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा कृषकों को इनके प्रबंधन के विषय में समय से जानकारी दी जायेगी।

This will enable the farmers to take benefit from peculiarities of different regions.

To take advantage of specialized characteristics of different agro-climatic zones, cultivation of appropriate crops will be encouraged and farmers will be provided required facilities only in those specific areas. Appropriate and beneficial farming systems for different agro-climatic regions will be developed and popularized. Special packages will be formulated and implemented for specific regions such as Bundelkhand, Vindhyan, etc.

Regionwise pest and disease resistant varieties of crops will be developed along with dissemination of Integrated Pest Management techniques. Private sector will be encouraged for ensuring the availability of bio-agents, at block level and farmers will be made aware of the benefits of bioagents.

क्षेत्रानुसार पारंपरिक तकनीकी ज्ञान (ITK) को संकलित कर इनका अनुकरणीय परीक्षण कराते हुए इसकी उपयुक्तता के आधार पर उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4. तकनीकी हस्तांतरण का सुदृढीकरण

कृषि के समग्र विकास में कृषि प्रसार सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में कृषि प्रसार का कार्य मुख्यतः कृषि एवं तत्सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रसार हेतु प्रदेश में बड़ी संख्या में कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कृषि ज्ञान केन्द्र क्रमशः भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से कार्यरत हैं। विभिन्न प्रसार संस्थाओं, सेवाओं तथा प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों को कृषकों तक पहुँचाने हेतु चलाये जा रहे प्रसार कार्यक्रमों को और सुदृढ किये जाने हेतु पहल किये जाने की आवश्यकता है।

विभिन्न प्रसार संस्थाओं, सेवाओं तथा प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों को कृषकों तक पहुँचाने हेतु चलाये जा रहे वर्तमान प्रसार कार्यक्रमों को और सुदृढ करते हुए इसकी पहुँच न्याय

Regionwise indigenous technical knowledge (ITK) will be compiled and be popularized after validation.

4. Strengthening Transfer of Technology

The agriculture extension systems has a vital role in the overall development of agriculture sector. In the state, extension work is primarily done by agriculture and allied departments. Besides this, a large number of extension institutions namely, Krishi Vigyan Kendra and Krishi Gyan Kendra supported by state and central government are also engaged in carrying out extension activities.

For timely and effectively transfer of new technologies to the farmers, strengthening of the existing extension systems and institutions involved is required.

Organizational restructuring such as the adoption of ATMA and similar other institutional models will be done to carry the improved technologies to the farming community upto Nyay Panchayat and grass root level. Presently, the extension work is being done by the institutions in the public domain. In the changing scenario beside public sector, agencies such as agri-clinics, farmers organizations, farmers field schools, cooperatives,

पंचायत स्तर तक ले जाने के लिये आत्मा एवं इसी प्रकार के अन्य माडल्स को क्रियान्वित कर संगठनात्मक सुधार किया जायेगा। वर्तमान में कृषि प्रसार का कार्य मूल रूप से सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। कृषि की बदलती आवश्यकताओं के दृष्टिगत इसमें सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त एग्री क्लीनिक्स, गैर सरकारी संस्थाओं, कृषक संगठनों, कृषक विद्यालयों, सहकारिताओं, पंचायतीराज संस्थाओं, निजी संस्थाओं एवं पैरा टेक्नीशियनों की भूमिका

प्रसार का सुदृढीकरण

- आत्मा मॉडल्स को क्रियान्वित करते हुए प्रसार कार्यक्रमों को न्याय पंचायत स्तर तक ले जाने हेतु संगठनात्मक सुधार।
- समस्त कृषि प्रसार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कृषि सहायकों को एकल खिड़की के रूप में प्रोत्साहित करने पर बल।
- प्रसार में एग्री क्लीनिक्स, गैर सरकारी संस्थाओं, कृषक संगठनों, कृषक विद्यालयों, सहकारिताओं, निजी संस्थाओं एवं पैराटेक्नीशियनों को प्रोत्साहन।
- कृषि पद्धति के आधार पर प्रसार प्रणाली का समेकित विकास।
- प्रशिक्षण सम्बन्धी अवस्थापनाओं का सुदृढीकरण।
- एकल कृषक के स्थान पर लाभार्थी समूहों एवं स्वयं सेवी समूहों के माध्यम से प्रसार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन।
- प्रसार कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को विशेष बल।
- शोध प्रसार संयोजन का सुदृढीकरण।
- कृषि आधारित सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा।

panchayati raj institutions, NGOs and para-technicians will be encouraged for extension activities. The role of Kisan Sahayak to work as a single window for all extension activities will be promoted.

Strengthening of Extension

- Organizational reforms to implement ATMA models and carry out extension programmes up to Nyay Panchyat level.
- Promotion of Kisan Sahayak to work as single window for all extension activities.
- Motivation of NGOs, farmers organizations, farmers schools, cooperatives, private institutions and para technicians engaged in extension.
- Integrated development of extension system based on farming system.
- Strengthening of infrastructure for training.
- Motivation of extension programme through beneficiaries groups and self help groups instead of single farmers.
- Special efforts for women participation in extension activities.
- Strengthening of research-extension coordination.
- Promotion of information technology based on agriculture.

को प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि प्रसार कार्यक्रमों के सुदृढीकरण के क्रम में एकल विन्डो की व्यवस्था के रूप में किसान सहायकों की भूमिका को प्रोत्साहित किया जायेगा।

वर्तमान कृषि प्रसार व्यवस्था कृषकों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं पर आधारित नहीं है। कृषकों की बहुआयामी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में कृषि प्रसार प्रणाली को कृषि पद्धति के आधार पर कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों, पोषण आवश्यकताओं, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन आदि के दृष्टिगत समेकित रूप से लागू किये जाने पर बल दिया जायेगा, जिससे कृषकों को आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

Present agriculture extension system is not designed for integrated requirement of farmers. According to the multi-dimensional needs of the farmers, the agriculture extension system will be oriented on the basis of socio- economic situation of the farmers, nutritional requirements, food security, employment generation etc.

The agriculture extension system will be designed according to the multi-dimensioned needs such as socio-economic conditions of the farmers, nutritional and food security, employment generation as an integrated system, where the farmers can get the required information on all relevant aspects.

बाजार की आवश्यकतानुसार उत्पादन एवं उत्पादों के विपणन में आ रही कृषकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि प्रसार पद्धति को माँग एवं विपणन आधारित करने पर बल दिया जायेगा। कृषकों की समस्याओं के चिन्हांकन हेतु कृषि प्रसार प्रणाली में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत समस्याओं का निर्धारण एवं इनके अनुसार उपयुक्त तकनीकी का चिन्हांकन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा फीड बैक आदि पर कार्य योजना तैयार किये जाने पर बल दिया जायेगा।

ग्रामीण स्तर पर कृषक समूहों जैसे कृषक सहकारी समितियों, स्वयं सेवी समूह, फार्मर्स इंटररेस्ट ग्रुप, कृषक उत्पाद समूह (कॉमोडिटी एसोसिएशन) का गठन कर कृषि प्रसार कार्यक्रमों को एकल कृषक के स्थान पर लाभार्थी समूहों तथा स्वयं सेवी समूहों के माध्यम से किये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि कृषकों को अपने उत्पादों के विपणन तथा आवश्यक ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

Considering the problems faced by farmers in marketing their produce, the agriculture extension system will be made demand and market driven. To identify their problems, farmers participation will be ensured and location specific work plans based on appropriate technology will be prepared, implemented, monitored and evaluated and accordingly on the basis of feedback, necessary steps will be taken.

At village level, the group extension approach will be promoted by involving farmers' cooperatives, farmers commodity groups and self-help groups etc. so that the problems in marketing and credit facilitation can be eliminated.

कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकी के संबंध में द्रुत गति से जानकारी पहुँचाने के लिये कृषि प्रसार में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु जनपद/न्याय पंचायत स्तर पर निजी सूचना केन्द्र/कियोस्क स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्रों/संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। मानव संसाधन विकास के अन्तर्गत कृषकों तथा कृषि प्रसार से संबंधित समस्त कार्यकर्ताओं के ज्ञानवर्धन एवं कार्यकुशलता के उन्नयन को उच्च प्राथमिकता देते हुए समय-समय पर प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रदेश स्थित कृषि प्रशिक्षण केन्द्रों, कृषि विज्ञान/ज्ञान केन्द्रों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में अवस्थापनाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।

कृषकों की समस्याओं के चिन्हांकन एवं तदनुसार तकनीकी के विकास एवं प्रसार के लिये शोध एवं प्रसार के संयोजन को सुदृढ़ किये जाने के लिये कृषक-वैज्ञानिक की सीधी वार्ता को प्रोत्साहन, एस.आर.ई.पी. के माध्यम से कृषकों की समस्याओं का चिन्हांकन, इण्टरफेस कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रदेश स्थित कृषि से संबंधित विभागों, शोध एवं प्रसार संस्थाओं के आपसी सम्बद्धीकरण (नेटवर्किंग) पर बल दिया

For speedy communication of latest agricultural innovations, the use of information technology will be promoted. The private sector will be motivated to establish information centers & e-kiosks at district, block and nyay panchayat levels. For human resource development, training will be organized from time to time to educate and increase the skill of agriculture extension workers as well as farmers. For training, the infrastructure facilities at agriculture training centers, Krishi Vigyan Kendrs, Krishi Gyan Kendrs and agriculture universities will be strengthened.

SREP approach to identification of the farmers problems and for development of appropriate technology solutions, farmer-scientist interactions will be encouraged. Use of SREP and interface programme will be ensured. In order to make the extension service financially viable, the provisions for extension service half of the farming community belongs to women, but their participation in training and extension activities is minimum. The necessary institutional, programmatic and structural reforms will be ensured.

जायेगा। उत्तर प्रदेश में आधे से अधिक कृषक महिलायें हैं, किन्तु विभागीय प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी अत्यंत कम है। अतः महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने हेतु उनकी क्षमताओं के निर्माण के लिये उपयुक्त संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं संस्थागत उपाय किये जायेंगे।

5. कृषि के विविधीकरण को प्रोत्साहन

प्रदेश में जोत का औसत आकार 0.86 हेक्टेयर है जो कृषि हेतु लाभकारी नहीं है। अतः फसल उत्पादन के साथ-साथ कृषकों के उपलब्ध संसाधनों से सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, पशुपालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन आदि व्यवसायों का समावेश करना भी आवश्यक है। इससे न केवल प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन, अधिक आय तथा रोजगार का सृजन होगा अपितु कृषि को पर्यावरणोपयोगी तथा अधिक टिकाऊ व किसानों को अधिक आय अर्जित करने वाला भी बनाया जा सकेगा। इस विधि से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनाएं भी बढ़ेंगी। कृषि विविधीकरण के द्वारा छोटी जोतों की कृषि को लाभकारी बनाया जायेगा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर किसानों की आय में वृद्धि की जायेगी।

5.Promotion of Agricultural Diversification

The average holding of the state is 0.86 ha., which is uneconomical, hence integration of fruit and vegetable production, sericulture, fish production and other enterprises with crop production is necessary on the basis of resources available to the farmers. This will not only increase per capita production and income and employment opportunities but also make agriculture profitable and ecologically sustainable. Through these mechanisms opportunities for generation of employment will also increase. Through diversification small holdings will be more profitable as new enterprises like vegetable and fruit production, cultivation of medicinal and aromatic plants, animal husbandry, sericulture, aqua culture will be encouraged and state level Master Plan for agriculture diversification.

इसके अन्तर्गत फसल उत्पादन के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, सगंध एवं औषधीय फसलों की खेती, पशुपालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन आदि को प्रोत्साहित किये जाने के साथ-साथ कृषि विविधीकरण हेतु राज्य स्तरीय मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

कृषि विविधीकरण

- छोटी जोतों की कृषि को लाभकारी बनाना।
- फसल उत्पादन के साथ-साथ कृषकों के उपलब्ध संसाधनों से सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, सगंध एवं औषधीय फसलों की खेती, पशुपालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन आदि व्यवसायों का समावेश।
- कृषि विविधीकरण हेतु राज्य स्तरीय मास्टर प्लान का विकास।
- लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि तथा रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना।

6. कृषकों के आर्थिक स्तर में उत्थान हेतु कृषि प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश के सकल निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी मात्र 7 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश में कृषि उत्पादों यथा बासमती तथा गैर बासमती चावल, आम, अमरुद, लीची, आँवला, नींबू प्रजाति फल, आलू, अदरक, लहसुन, हरा मटर, भिण्डी, मशरूम, तिलहन, मेन्था, पुष्प, औषधीय एवं सगन्ध पौधों तथा मसालों (मिर्च, हल्दी, धनिया) एवं मॉस तथा दुग्ध पदार्थों के प्रचुर उत्पादन के

Diversification of Agriculture

- To make small holding profitable through agriculture diversification.
- To integrate fruits, vegetable production, cultivation of medicinal and aromatic plants, fisheries, sericulture and animal husbandry with crop production on the basis of available resources.
- Development of state level Master Plan for agriculture diversification.
- To enhance the income of small and marginal farmers and increase the opportunities of employment generation.

6. Measures to improve the economic conditions of farmers

Agriculture sector contributes only 7 percents in total export of UP, despite the fact that a vast potential for export of fresh and processed products such as Basmati and non-basmati rice, Mango, Guava, Litchi, Aonla, citrus fruits, potato, ginger, garlic, table pea, Bhindi, Mashroom, Oilseeds, Mentha, flowers, medicinal and aromatic plants spices (chilli, turmeric, coriander),

साथ-साथ उनके ताजे तथा प्रसंस्कृत रूप में निर्यात की अपार संभावनायें विद्यमान हैं। भौगोलिक सूचकों पर आधारित उत्पादों का चिन्हांकन करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ब्रान्डिंग की व्यवस्था की जायेगी। कृषि निर्यात को बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग तथा भण्डारण क्षमता (शेल्फ लाईफ) आदि को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने पर बल दिया जायेगा तथा उत्पादों एवं तकनीकी के पेटेन्टीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कृषि प्रोत्साहन

- भौगोलिक सूचकों पर आधारित उत्पादों का चिन्हांकन एवं उनके प्रोत्साहन हेतु ब्रान्डिंग की व्यवस्था।
- उत्पादों एवं तकनीकी के पेटेन्टीकरण की व्यवस्था।
- कृषि निर्यात बढ़ाने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, हैण्डलिंग, ग्रेडिंग एवं पैकिंग इकाइयों तथा कूल चेन की व्यवस्था।
- कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन एवं प्रसंस्करण इकाइयों की मण्डी शुल्क से छूट
- जैविक खेती को प्रोत्साहन।

प्रदेश से कृषि निर्यात बढ़ाने के लिये कृषि पर आधारित उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, औद्यानिकी एवं पुष्पोत्पादन को वरीयता प्राप्त

meat and milk products is available. Products as per the geographical indicators will be promoted and facilities for branding will be developed. In order to increase agricultural exports, quality of produce, packaging will be improved as per the international standards/norms and facilities for patenting of technologies will be ensured.

Incentive to Agriculture

- Identification and grading facilities of products as per geographical indications.
- Facilities to patenting of products and technologies.
- Surplus electricity for agri industries.
- Establishment of quality control Lab, handling, grading, and packing units and cool chains to increase agri export.
- Exemption from mandi tax for processing units.
- Promotion of bio farming.

Agriculture based industries, processing industries, horticulture and floriculture will be designated as thrust industries for increasing the agricultural exports and for this quality control labs, handling, grading and packaging units and cool chain (pre cooling unit, cold storage and refrigerated vehicle) facilities will be developed. Units of value addition and processing of export oriented agriculture products will be encouraged

उद्योग माना जायेगा तथा अवस्थापना सुविधाओं जैसे – गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, हैंडलिंग, ग्रेडिंग एवं पैकिंग इकाईयों तथा कूल चेन (प्री कूलिंग इकाई, शीतगृह एवं प्रशीतित वाहन) आदि की व्यवस्था की जायेगी।

निर्यातान्मुखी अधिसूचित कृषि उत्पादों के प्रसंस्कृत स्वरूप को देश से बाहर निर्यात करने हेतु मूल्य संवर्धन व प्रसंस्कृत इकाईयों को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। स्थानीय स्तर पर स्थापित/प्रोत्साहित प्रसंस्करण इकाईयों के लिये उपयुक्त मशीनरी तथा तकनीक का विकास किया जायेगा ताकि इन इकाईयों में तैयार होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहे तथा बाजार में उचित मूल्य प्राप्त हो सके। प्रदेश के हवाई अड्डों पर स्थापित कार्गो हैंडलिंग एवं लैंडिंग सुविधा को सुदृढ़ किया जायेगा।

to generate local employment opportunities. Appropriate machinery and technologies will be developed for establishment of processing units at local level, which will help in maintaining the quality of product and ensure fair price in the market. Cargo handling and landing facilities will be strengthened at the state airports.

जैविक कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का निर्धारण कर जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा जैविक उत्पादों की गुणवत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक पहुँचाने पर बल दिया जायेगा। जैव उत्पादों के निर्यात हेतु उन्हें अधिसूचित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार आयातों पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाये जाने के बाद विश्व बाजार में होने वाली मूल्य अस्थिरता के प्रतिकूल प्रभाव से उत्पादकों को संरक्षित करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिये सामग्रीवार रणनीतियों एवं व्यवस्थाओं का प्रतिपादन किया जायेगा। इस संदर्भ में किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का सतत अनुश्रवण किया जायेगा तथा कृषकों को आवश्यक संरक्षण दिया जायेगा।

7. कृषकों के आर्थिक उन्नयन हेतु औद्यानिकी/बागवानी को प्रोत्साहन

प्रदेश में औद्यानिकी की संभावनाओं के दृष्टिगत कृषि जलवायवीय क्षेत्रवार संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप क्षेत्र विशेष में फल, शाक-भाजी, आलू एवं मसाला उत्पादन, पुष्पोत्पादन, औषधीय एवं संगंध फसलों, मौन पालन, मशरूम विकास,

Organic farming will be promoted by identifying the suitable regions for organic agriculture and quality of organic products will be upgraded as per the international standards. Certification will be ensured for exporting the organic products.

Consequent upon dismantling of quantitative restrictions on imports as per WTO Agreement on Agriculture, commodity wise strategies and arrangements for protecting the grower from adverse impact of price fluctuations in world markets and for promoting exports will be formulated. In this context, in order to protect the interest of farmers, continuous monitoring of international prices will be undertaken and appropriate measures will be taken to protect the farmers.

7.Promotion of Horticulture for economic upliftment of farmers

Keeping in view the possibilities of horticultural crops in the state, the production of fruits, vegetables, potato, spices, flowers, medicinal and aromatic plants, bee keeping, mushroom production, agro-forestry and social-forestry

कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया जायेगा। गुणवत्ता विनिमयन तंत्र, क्षेत्रीय पौधशालाओं, लो टनल पॉली हाउस, प्लास्टिक्स के उपयोग, ऊतक संवर्द्धन प्रयोगशालाओं के प्रोत्साहन के साथ-साथ बीज/उन्नत रोपण सामग्री को उत्पादकों तक पहुँचाया जायेगा। बागवानी की उन्नत तकनीकों के प्रसार के साथ-साथ पुराने, अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार तथा विलुप्त हो रहे फलों की प्रजातियों को प्रोत्साहित करने हेतु इनका संरक्षण एवं उन्नयन तथा हर्बल औषधियों के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा। फसलोत्तर प्रबन्धन एवं प्रसंस्करण की उन्नत तकनीकों का प्रसार एवं विकास के साथ-साथ औषधीय एवं संगंध फसलों के विकास पर भी यथेष्ट बल दिया जायेगा।

औद्यानिकी

- क्षेत्र विशेष में फल, शाक-भाजी, आलू, मसाला, पुष्पोत्पादन पर विशेष बल।
- औषधीय एवं संगंध फसलों, मौन पालन एवं मशरूम विकास को प्रोत्साहन।
- कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को बढ़ावा।
- गुणवत्ता विनिमयन तंत्र, क्षेत्रीय पौधशालाओं, ऊतक संवर्द्धन प्रयोगशालाओं, लो टनल पॉली हाउस एवं प्लास्टिक्स के उपयोग को प्रोत्साहन।
- उत्पादकों को उन्नत बीज/रोपण सामग्री की उपलब्धता।
- पुराने अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार।
- विलुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण एवं उन्नयन।
- हर्बल औषधियों के विकास को प्रोत्साहन।
- फसलोत्तर प्रबन्धन एवं प्रसंस्करण पर विशेष बल।

will be promoted along with crop production on the basis of available resources in various agro-ecological situation. The quality regulatory systems, regional nurseries, low tunnel poly houses, use of plastics and tissue culture laboratories will be promoted along with supply of improved planting materials to the farmers. Rejuvenation of old and unproductive orchards, conservation and improvement of endangered varieties of fruits and development of herbal medicines would be encouraged. Promotion of post-harvest management technologies and improved processing techniques along with extension of improved horticultural techniques.

Horticulture

- Special emphasis on production of fruits, vegetable, potato, spices, and flowers.
- Promotion of medicinal and aromatic plants, bee-keeping and mushroom production.
- Promotion of agro-forestry and social-forestry.
- Promotion of quality regulatory systems, regional nurseries, tissue culture laboratories, low tunnel polyhouses and use of plastics in agriculture.
- Availability of improved seeds and saplings.
- Rejuvenation of old and unproductive orchards.
- Conservation and improvement of endangered varieties.
- Emphasis on the development of herbal medicines.
- Special emphasis on post-harvest management and processing.

8. फसलोत्तर प्रबंधन एवं खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास

पर्याप्त फसलोत्तर प्रबंधन एवं प्रसंस्करण न हो पाने के कारण प्रति वर्ष काफी मात्रा में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल तथा शाक-भाजी खराब हो जाते हैं एवं देश तथा विदेश के बाजारों में हमारे उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः इस

फसलोत्तर प्रबंधन

- फसलोत्तर क्षति को कम करने हेतु प्रबंधन तकनीकों का उपयोग एवं विकास।
- उत्पादन क्षेत्रों में भण्डारण सुविधाओं का सृजन।
- शीत श्रृंखलाओं की स्थापना।

क्षति को कम करने तथा कृषकों को उनके उत्पाद का मूल्यवर्धन करते हुये बेहतर लाभ सुनिश्चित कराने हेतु श्रेणीकरण, छटाई, पैकिंग, विपणन अवस्थापनाओं, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं परिवहन की उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करते हुये नवीन तकनीकी के विकास पर बल दिया जायेगा। उत्पादन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिये जीरो एनर्जी कूल चैम्बर आदि सुविधाओं का सृजन किया जायेगा। शीत श्रृंखलाओं की स्थापना, पूर्व प्रशीतन सुविधाओं के प्राविधान तथा टर्मिनल मार्केट्स में शीत भण्डारण को प्राथमिकता दी जायेगी।

8. Development of Post Harvest Management and Food Processing facilities

Large quantities of food grains, fruits and vegetables are wasted every year due to lack of post harvest management and processing facilities and also we are not fetching remunerative prices for our agri-produce in the national and international markets.

Post Harvest Management

- Generation and application of management techniques for reducing post harvest losses.
- Creation of storage facilities at production centre.
- Establishment of cold chain.

The technologies for grading, packaging, marketing infrastructure, storage, processing and transportation will be promoted along with generation of new technologies in order to minimize the post harvest losses and assuring better profits to the farmers by value addition. In order to provide storage facilities at production centres, facilities of zero energy cool chambers etc. will be created. Priority will be given for establishing the cold chain, provision of pre cooling facilities and cold storages in the terminal markets.

कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण हेतु नई प्रसंस्करण इकाइयों को मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करने या उसकी दर में कमी करने की व्यवस्था जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि जो पाँच वर्ष से अधिक न हो और जिनके सयंत्र और मशीनरी की

खाद्य प्रसंस्करण

- स्थानीय स्तर पर उत्पादों के मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन।
- खाद्य प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।
- गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- फसलों के अवशिष्टों का मूल्यवर्धित उत्पादों में उपयोग।
- ब्रांडिंग की व्यवस्था।
- कृषकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों एवं सरकारी संस्थाओं के मध्य सशक्त तालमेल।
- स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त मशीनरी एवं तकनीकी का विकास।
- कृषि/उद्यान विकास क्षेत्रों का खाद्य पार्कों से समन्वयन।
- खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों, नियमों एवं विनियमों में अपेक्षित संशोधन।

लागत रु. दस करोड़ से अधिक हो। प्रदेश में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादन क्षेत्रों में प्रसंस्करण इकाइयों स्थापित करने पर बल दिया जायेगा। इससे फसलोत्तर क्षति को न्यूनतम कर उत्पादन लागत को कम किया जा सकेगा तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सृजित होंगे।

The rebate or lowering in the Mandi fee will be provided to the new processing units engaged in the value addition and processing as per the Government Orders issued time to time, but for this, the cost of plant and machinery should be more than Rs. 10 crores and duration not

Food Processing

- Encouraging value addition of products at local level.
- Promotion of private sectors in food processing
- Establishment of quality testing laboratories.
- Utilization of crop waste in value added by-products.
- Arrangements of Brands.
- Strong linkages among farmers, processors, exporters and Government institutions.
- Development of appropriate machineries and technologies for processing at local level.
- Linkage of food parks with Agriculture/Horticulture Development Zone.
- Rationalization of laws, rules and regulations related food processing.

exceeding 5 years. In order to promote the agro based food processing industries in the state, emphasis will be given for establishing the processing units in the production catchments. This will help in minimizing the production cost as well as post harvest losses and generate employment.

कृषकों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य दिलाने तथा प्रसंस्करणकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कृषकों एवं प्रसंस्करण इकाईयों के मध्य व्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु नीति निर्धारित की जायेगी। प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये कृषकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों एवं सरकारी संस्थाओं के मध्य आपसी तालमेल को सुदृढ़ किये जाने पर बल दिया जायेगा। प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु निवेश तथा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। निजी क्षेत्र को प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जायेगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में गुणवत्ता संचेतना को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता देने के लिये गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ अधिक से अधिक उत्पादों के गुणवत्ता मानक निर्धारित किये जायेंगे तथा पूर्व से मौजूद मानकों का ब्रान्ड प्रमोशन हेतु उपयोग किया जायेगा।

फसलों के अवशिष्टों का उपयोग विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों को तैयार करने में किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर स्थापित/ प्रोत्साहित की जाने वाली प्रसंस्करण इकाईयों के लिये उपयुक्त मशीनरी एवं तकनीकी का विकास कराया

The policy will be designed to promote the arrangements between the farmers and processing units, so that farmers get the remunerative prices and the processing unit will get uninterrupted supply of quality raw material. In order to promote the marketing of processed products, linkages will be strengthened among the farmers, the processors, the exporters and the Government institutions. Investment and availability of credits will be ensured for establishing the processing industries. Private sectors will be promoted in food processing sector. Recognizing the need for evolving quality consciousness in the food processing sector, quality testing laboratories will be established for determining the quality standards for various products. Wherever these standards already exist, they will be used for establishing and promoting brands.

Crop wastes will be utilized for developing value added products. In order to maintain the uniformity and quality of the processed products, appropriate machineries and technologies will be developed for the local

जायेगा ताकि इन इकाईयों से तैयार होने वाले उत्पादों में एकरूपता एवं गुणवत्ता बनी रहे और इनका घरेलू बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके एवं निर्यात की सम्भावनायें भी परिलक्षित हो सकें। कृषक समूहों द्वारा उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण तथा ब्रान्डिंग की व्यवस्था विकसित की जायेगी, जिससे लघु स्तर पर उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों की गुणवत्ता एवं विपणन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

कृषि/उद्यान विकास क्षेत्रों को खाद्य पार्कों से समन्वित किया जायेगा ताकि इनका अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके। उद्योग बंधु द्वारा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े विषयों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना की दिशा में केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा भारत सरकार की संस्थाओं जैसे एपीडा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमियों को लाभ देने के लिये सम्बन्धित संस्थाओं को सशक्त बनाया जायेगा। प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण तथा समाज के मध्य पारस्परिक संयोजन को बढ़ावा दिया जायेगा

processing units so that it can attract higher prices in the domestic market and also have export prospects. Quality testing and branding facilities will be arranged for the processed products developed by farmers groups so that quality and marketing of processed products, being prepared at small scale, can be assured.

Agriculture/ Horticulture Development Zones will be linked with the Food Parks for obtaining maximum benefits. Priority will be given to issues relating to food processing by 'Udyog Bandhu' and efforts will be made to coordinate with the Central Government for setting up of National Centre for Food Technology and Management. In order to provide maximum benefit of various schemes of Govt. of India and its various institutes like APEDA, National Horticulture Board, Ministry of Food Processing, the related organizations will be strengthened. An inter-active coupling between technology, economy, environment and society will be promoted for speedy development of processing industries and build up a

ताकि प्रसंस्करण उद्योगों का तीव्र विकास किया जा सके और खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता पर विशेष बल देकर घरेलू और निर्यात मण्डियों हेतु मूल्यवर्धित उत्पादों के लिये एक सतत् आधार बनाया जा सके। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये औद्योगिक नीति में रेखांकित सभी रियायतें एवं सुविधायें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी अनुमन्य होंगी। इस नीति में दिये गये प्राविधान, औद्योगिक नीति में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त होंगे। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विभिन्न कानूनों, नियमों एवं विनियमों की जटिलताओं का परीक्षण कर इनको और अधिक तर्कसंगत बनाया जायेगा।

9. पशुपालन एवं दुग्ध विकास कार्यक्रमों का सुदृढीकरण

पशुधन के समग्र विकास हेतु पशु विकास नीति निर्धारित की जायेगी। पशु उत्पादों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पशु प्रजनन नीति बनाई जायेगी तथा घरेलू मवेशियों के नस्ल सुधार हेतु कार्यक्रम चलाया जायेगा। पशु स्वास्थ्य एवं बांझपन के निदान के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी के सृजन एवं विस्तार पर ध्यान दिया जायेगा तथा निर्यात के परिप्रेक्ष्य में पशु रोग निराकरण हेतु स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ किया जायेगा। पशु पोषण के अन्तर्गत चारा विकास कार्यक्रम के साथ-साथ गैर पारम्परिक आहार के श्रोतों

substantial base for production of value added agro-products for domestic and export markets with a strong emphasis on food safety and quality. All concessions and incentives outlined in the Industrial Policy for setting up an industrial unit will also be available to food processing industry. The provisions of this policy would be over and above those indicated in the Industrial Policy. Various laws, rules and regulations of food processing sector will be examined to rationalize them.

9. Strengthening of Animal Husbandry and Dairy

For overall development of animal wealth, animal development policy would be framed. To fulfill the demand of the animal produce, State animal breeding policy will be framed and indigenous breeds improvement programme will be implemented. Veterinary health system will be strengthened for animal health care and eradication of sterility through development and extension of new technology in view of export promotion. Animal nutrition, non-conventional feeds will be promoted, along with fodder development programme

को बढ़ावा दिया जायेगा तथा इसमें पशुपालकों एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

पशुपालन

- पशुधन के समग्र विकास हेतु पशु विकास नीति का निर्धारण।
- घरेलू मवेशियों की नस्ल सुधार हेतु कार्यक्रम।
- पशु स्वास्थ्य एवं बॉझपन के निदान पर विशेष बल।
- चारा विकास कार्यक्रम तथा गैर पारम्परिक आहार के स्रोतों को बढ़ावा।
- पशु पोषण में पशुपालकों एवं निजी क्षेत्रों की सहभागिता।
- ग्रामीण स्तर पर बैकयार्ड पोल्ट्री, तीतर, बटेर पालन को बढ़ावा।
- भेड़, बकरी, शूकर आदि के विकास पर बल।
- उत्तर प्रदेश पशुधन विकास संस्थान का सुदृढीकरण।
- दुग्ध उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु सहकारी समितियों का सुदृढीकरण।
- सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन।
- गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण।
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु पशुओं की उन्नत नस्लों का विकास।

ग्रामीण स्तर पर पोल्ट्री विशेषकर बैकयार्ड पोल्ट्री के साथ-साथ बटेर एवं तीतर पालन को बढ़ावा दिया जायेगा। लघु पशुओं यथा भेड़, बकरी, शूकर आदि के विकास पर भी आवश्यक बल दिया जायेगा तथा उत्तर प्रदेश पशुधन विकास संस्थान का सुदृढीकरण किया जायेगा। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु पशुओं की उन्नत नस्लों का विकास किया जायेगा।

in which farmer and private sector participation will be ensured.

Animal Husbandry and Dairying

- Framing of "Pashu Vikas Niti" for integrated development of livestock.
- Indigenous breed improvement programme.
- Special emphasis on animal health care and eradication of sterility.
- Promotion of fodder development programme and non-conventional feeds.
- Participation of animal owners and private sector for animal husbandry.
- Promotion of backyard poultry and keeping of table birds like titar and baters in rural areas.
- Strengthening of cooperative societies for milk production enhancement.
- Promotion of marketing of milk and milk products through cooperative societies.
- Strengthening of infrastructural facilities for ensuring availability of quality milk and milk products.
- Arrangement for making quality breeds of animals for milk production.

Under poultry development, special emphasis will be given to backyard poultry. Due attention will also be given to encourage table (etable) birds like titar and bater at village level. Focus will also be kept on development of small animals like sheep, goats and pigs etc. by strengthening Uttar Pradesh Pashudhan Vikas Sansthan. Arrangement for making quality breeds of animals for milk production.

वर्तमान में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 159.43 लाख टन है। प्रदेश में दुग्ध की आवश्यकता वर्ष 2020 तक 287.6 लाख टन होगी। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के साथ-साथ परिवारों एवं इकाईयों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया जायेगा।

10. कृषक हितैषी विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहन

प्रदेश में कृषि विपणन व्यवस्था के सुदृढीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु मण्डी द्वारा विपणन व्यवस्था को उदार बनाया जायेगा तथा कृषकों को उनके निवेश तथा जोखिम के अनुपात में उत्पादों का मूल्य उपलब्ध कराने में बाधक सभी नियंत्रणों और शर्तों की समीक्षा की जायेगी और आवश्यकतानुसार इन्हें उदार/युक्तिसंगत बनाया जायेगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश मण्डी अधिनियम को केन्द्र सरकार के माडल मण्डी अधिनियम के प्रकाश में यथावश्यक संशोधित किया जायेगा। मण्डी शुल्क की प्रक्रियाओं को पारदर्शी, सरलीकृत एवं कृषक हितैषी बनाये जाने के साथ-साथ मण्डी शुल्क की आय का दो तिहाई भाग सम्बन्धित मण्डी समिति के क्षेत्र में निवेशित करने पर बल दिया जायेगा।

The present milk production in the state is 159.43 lakh tonnes. The requirement of milk in the year 2020 will be 287.6 lakh tonnes. The participation of milk producer families will be ensured along with strengthening of cooperative societies for promoting milk production. For ensuring hygienic and quality milk and milk products, quality assurance laboratories would be strengthened.

10. Promotion of Farmers Friendly Marketing Setup

Strengthening of agriculture marketing setup will be accorded the top priority in the state. The system of marketing by mandi will be made liberal and all the rules and regulations which act as hindrance for ensuring remunerated prices to farmers for their produces will be reviewed and as necessary will be made liberal/logical. Necessary amendments will be made in the present Uttar Pradesh Mandi Act in the light of the Model Mandi Act of Government of India. The process of fixing mandi tax will be made transparent, simplified and farmers friendly and two third of the income of mandi will be invested in the area of the mandi.

विपणन प्रबन्धन

- विपणन व्यवस्था का उदारीकरण।
- तहसील स्तर पर मण्डी स्थल का निर्माण।
- पंचायतों में हाट पैठ तथा पशु बाजारों में सुविधाओं का विकास।
- कृषकों, सहकारी समितियों तथा कृषक समूहों के द्वारा उपभोक्ता एवं निजी क्षेत्रों की कम्पनियों को सीधे विपणन हेतु प्रोत्साहन।
- निजी क्षेत्र को सीधे बल्क पर्वेज के लिये सुविधा।
- विपणन अवस्थापनाओं का निर्माण।
- विपणन मूल्यों में अस्थिरता एवं जोखिम कम करने हेतु भावी बाजारों को प्रोत्साहन तथा कॉमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना।
- बाजार सूचना तंत्र का सुदृढीकरण।
- एगमार्क हेतु श्रेणीकरण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण।
- मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन।

प्रदेश में विपणन अवस्थापनाओं के सुदृढीकरण हेतु प्रत्येक तहसील में कम से कम एक मण्डी स्थल का निर्माण/विकास किया जायेगा। विशिष्ट कृषि उत्पादों यथा बासमती चावल, मछली, फल, सब्जी एवं पुष्प आदि की मण्डियाँ स्थापित की जायेंगी तथा उनके व्यवसायिक संचालन के लिये सार्वजनिक- निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा। पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में हाट पैठ तथा पशु बाजारों में सुविधाओं का विकास किया जायेगा। विपणन में बिचौलियों के वर्चस्व को कम करते हुये कृषकों, सहकारी समितियों तथा कृषक समूहों के द्वारा प्रसंस्करण

Farmers Friendly Marketing Setup

- Strengthening of market setup.
- Construction of Mandi at Tehsil level.
- Establishment of Hath-Paith and animal markets under administrative control of Panchayat.
- Encouragement to farmers, cooperative societies, and farmer groups for direct marketing to consumer and private sector.
- Direct Facilities for bulk purchase by private sector.
- Encouragement to future market to minimize risk and uncertainty in prices of agriculture produce and establishment of commodity exchange.
- Strengthening of market information system
- Strengthening of agmark graded lab.
- Arrangement of Training for HRD.

In order to strengthen the marketing infrastructure, at least one mandi will be established/developed in each tehsil. Separate mandis for specific agriculture commodity like basmati rice, fish, fruits, vegetables and flowers etc. will be established and participation of private sector will be encouraged for their commercial management. Hath-Paith and animal market facilities will be developed in the administrative control of Panchayat. In order to minimize the control of middle men in the marketing, farmers, cooperative

इकाईयों को संविदा कृषि के तहत सीधे विपणन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। लघु तथा सीमान्त कृषकों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु रैतू बाजार/उत्पादक बाजारों की सुविधा विकसित की जायेगी। इसके लिये फल, सब्जी एवं दुग्ध उत्पाद पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। बल्क परचेज सुविधा के अन्तर्गत ऐसे व्यापारियों को किसानों से सीधे खरीद की सुविधा अनुमन्य हो सकेगी, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50,000 टन अथवा इससे अधिक मात्रा में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की खरीद कर बिक्री का सौदा करने के उपरान्त अथवा बिक्री हेतु प्रदेश के बाहर भेजें या प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई में प्रसंस्कृत करें।

बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए विपणन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। निजी क्षेत्र/सहकारी समितियों को कृषि विपणन से संबंधित अवस्थापनाओं जैसे सम्पर्क मार्ग, परिवहन, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के भण्डारण हेतु शीतगृह तथा अवशीतन श्रंखला (कूल चेन) के निर्माण तथा प्रसंस्करण सुविधा के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

फसलोत्तर हानि को कम करने तथा कृषि जिन्सों के विपणन में उत्पादकों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित कराने की दृष्टि से

societies and farmer groups will be encouraged for direct marketing through contract farming. Facilities for Raitu Bazar/producer market will be developed for marketing the products produced by small and marginal farmers. Provisions for bulk purchase directly from farmers by traders will be made for traders who are capable of purchasing more than 50000 tonnes of specific agriculture produce in a financial year and to sell it out of state or within state to processing units.

Production as per the demand of the market will be encouraged and marketing facilities will be ensured. Private/cooperative societies will be encouraged for establishment of infrastructure such as link roads, transport and cold storage, cool chain and processing units for perishable agricultural produce.

In order to minimize the post-harvest damage and ensuring remunerative prices to the producer, facilities for sieving, sorting, grading and drying of agriculture produce will be encouraged to be established at village/block level and for this, private sector will be encouraged.

बड़े पैमाने पर वर्गीकरण एवं उत्पादों की छनाई, सुखाई तथा छटाई की उन्नत व्यवस्थायें गाँव/विकास खण्ड स्तर पर स्थापित करने पर जोर दिया जायेगा एवं इस हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मंडी स्थलों तथा उप मंडी स्थलों पर उचित मूल्य की प्रत्याशा में किसानों को अपना उत्पाद भण्डारित करने पर होने वाले व्यय को वहन करने की दृष्टि से संस्थागत ऋण सुलभ शर्तों पर उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था विकसित की जायेगी। कृषि उत्पादों को वेयर हाऊस में रख कर इनसे प्राप्त रिसीट्स के आधार पर कृषकों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषकों को कृषि उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने की व्यवस्था जारी रखी जायेगी।

खाद्यान्नों तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों पर कर ढाँचे की समीक्षा कर इसे युक्तिसंगत बनाया जायेगा। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थागत प्रणाली विकसित करते हुये संविदा कृषि एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे कृषकों को आगत की उपलब्धता, उत्पादन में वृद्धि एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की

In order to store the produce in the storage at mandi/sub-mandis in the anticipation of getting remunerative prices, facilities for credits on easy terms and condition will be made so that farmers may bear the cost of storage. Provisions for receiving bank credits against the receipt of produce stored at warehouses by the farmers will be encouraged. The provisions for minimum support price for agriculture produce will be continued.

The tax structure on foodgrains and other commercial crops will be reviewed and rationalised. In order to promote food processing and export, institutional system will be developed for contract and organic farming, so that the availability of inputs, increased production and quality as per the international standards and desired profit can be ensured. Future market will be encouraged to minimize the risk and uncertainty in prices of agriculture commodity and increased numbers of agricultural produce will be brought under its purview.

Information technology will be promoted and made broad based to cover prices and arrival of agriculture and horticulture produce in the market. All the important mandis will be linked to Agmarknet and a portal will be

गुणवत्ता सुनिश्चित कर वांछित लाभ प्राप्त किया जा सके। विपणन मूल्यों में अस्थिरता एवं जोखिम कम करने हेतु भावी बाजारों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इसके अन्तर्गत अधिकाधिक कृषि उत्पादों को सम्मिलित किया जायेगा।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों तथा आवक के सम्बन्ध में सूचना तन्त्र को अधिक गतिशील एवं व्यापक बनाया जायेगा तथा इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश की समस्त प्रमुख मण्डियों को एगमार्क नेट से जोड़ा जायेगा एवं फसलों के उत्पादन तथा विपणन संबंधी समस्त सूचनाओं के प्रसार के लिये पोर्टल की सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जायेगी। एगमार्क के अन्तर्गत श्रेणीकरण को लोकप्रिय बनाने हेतु श्रेणीकरण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया जायेगा।

फसलोत्तर प्रबन्धन हेतु कृषकों एवं कर्मचारियों को कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण, श्रेणीकरण, मानकीकरण, भण्डारण एवं परिवहन आदि के लिये प्रशिक्षण तथा कृषि विपणन से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार पर बल दिया जायेगा।

developed for dissemination of information in relation to production and marketing of crops on daily basis. In order to popularize the classification under Agmark, the quality control laboratories in the state will be strengthened.

For post-harvest management, farmers and employees will be trained on collection, grading, standardization, storage and transport of agriculture produce and extension and publicity of information related to marketing will be encouraged.

11. कृषि सुरक्षा के दृष्टिगत आकस्मिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर जोखिम प्रबन्धन

प्राकृतिक आपदा से खेती पर होने वाले दुष्प्रभावों का प्रबन्धन किया जायेगा। आधुनिक तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के द्वारा सूखा तथा बाढ़ के पूर्वानुमान की सूचना किसानों तक समय से पहुँचायी जायेगी। मौसम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए कृषि, औद्योगिक, पशुधन एवं मत्स्य विशेषज्ञों के परामर्श से प्रत्येक कृषि जलवायवीय क्षेत्र के लिए जनपद स्तरीय आकस्मिक योजनाएँ तैयार की जायेंगी। इन आकस्मिक योजनाओं को लागू करने के लिए

जोखिम प्रबन्धन

- मौसम तथा कीट एवं रोगों के प्रकोप/संकमण के पूर्वानुमान की सूचना के परिप्रेक्ष्य में आकस्मिक योजनाओं का क्रियान्वयन।
- कृषि बीमा योजना का विस्तार।
- कृषि में विविधीकरण हेतु जोखिम प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य औद्योगिक फसलों के लिये भी इन्श्योरेन्स मॉड्यूल का विकास करना एवं कमोडिटी एक्सचेंज से भी समन्वय स्थापित करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि उत्पादों के कय एवं भण्डारण की व्यवस्था।
- जी.आई.एस आधारित सूचना तंत्र का विकास करते हुए इसका फसल प्रबन्धन में उपयोग।
- प्रदेश के कॉप वेदर वॉच ग्रुप का सुदृढीकरण।

11. Implementation of contingent plans to mitigate risk to farmers

The adverse effect of natural calamities on agriculture will need to be mitigated under a management plan. Information technologies will be utilized to provide advance information to farmers about drought and flood. In order to face the situation which may arise due to change weather conditions, district wise contingency plans will be developed for each agro-climatic zones, after discussions with agriculture, horticulture, animal husbandry and fisheries scientists. In order to implement these contingency plans effectively, the availability of inputs at block level will be ensured and in order to achieve the maximum benefit of

Risk Management

- Implementation of contingency plan on the basis of forecasting of weather and crop and disease related information.
- Extension of agriculture insurance scheme.
- Development of insurance module and its linkages with commodity exchange in context of risk management in agriculture diversification.
- Facility of purchase & storage of agriculture produce at Gram Panchayat Level.
- Development of GIS based information system and their use in crop management.

आगतों की व्यवस्था ब्लाक स्तर पर कराई जायेगी तथा इस योजना का लाभ कृषकों को उपयुक्त समय पर पहुँचाने के लिये विभागीय प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। सूखे एवं बाढ़ की आपदा के अतिरिक्त फसलों पर कीट एवं रोगों के प्रकोप/संक्रमण की सघनता का भी अनुश्रवण किया जायेगा तथा इनके पूर्वानुमान की सूचनाओं के आधार पर कृषकों को इनके प्रबंधन के विषय में समय से जानकारी दी जायेगी। जी.आई.एस आधारित सूचना तंत्र का विकास करते हुए इसका उपयोग फसल प्रबन्धन में किया जायेगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में स्थित क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप को और सुदृढ़ किया जायेगा तथा प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर स्थित मौसम वेधशालाओं की सक्रियता बढ़ाई जायेगी।

प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों से होने वाली हानियों से सुरक्षा के लिये अन्य प्राविधानों के साथ ही साथ कृषि बीमा योजना जिसका लाभ वर्तमान में बैंक से ऋण लेने वाले कृषकों को ही मिलता है, को और विस्तृत बनाया जायेगा जिससे अधिकाधिक कृषक समुदाय इसका लाभ ले सकें। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पर इस सन्दर्भ में संचालित आकस्मिक योजनाओं के तहत सरकारी सहायता भी सुनिश्चित की जायेगी।

these plans timely publicity of these plans will be made by the departmental extension workers. In addition to drought and flood, continuous monitoring of intensity of pests and diseases of crops will be done and on the basis of prior information farmers will be provided with information for their management. GIS based information system will be developed and utilized for management of crops. The Crop Weather Watch Group established at U.P. Council of Agricultural Research will be strengthened and increased involvement of meteorological centres established in the state will be ensured.

In order to protect the farmers from natural and other calamities, the agriculture crop insurance scheme, benefit of which are now only availed by farmers who take credits from banks, will be broadened so that increased number of farmers get the benefit of the scheme. In addition to this, government support available through contingency schemes at regional level will also be ensured.

किसानों द्वारा प्रयोग किये जा रहे आगतों तथा कृषि उत्पाद के मूल्यों पर निगरानी रखी जायेगी तथा आवश्यकता होने पर शासन कृषि व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए नियमन सम्बन्धी आवश्यक कदम उठायेगी।

12. तकनीकी एवं मानव संसाधन विकास को प्रोत्साहन

प्रदेश की कृषि नीति के द्वारा कृषि विकास को सही दिशा के साथ-साथ गतिशीलता देने के लिये उपयुक्त कृषि तकनीक के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। लघु तथा सीमान्त कृषकों के लिए स्थान विशेष की सामाजिक, आर्थिक, मृदा एवं जलवायवीय परिस्थितियों के अनुसार कृषि का विविधीकरण करते हुए कृषि पद्धतियाँ विकसित की जायेंगी, जो छोटी जोतों को लाभप्रद बनायेंगी तथा मृदा, जल एवं पर्यावरण का समुचित उपयोग करेंगी। विभिन्न कृषि जलवायवीय परिस्थितियों के अन्तर्गत कृषकों की स्थानीय समस्याओं तथा बाजारोन्मुखी शोध के साथ-साथ इसे व्यवहारिक बनाने के लिये परिणामों का परीक्षण कृषकों के प्रक्षेत्र पर कराया जायेगा। कृषि उत्पादन पर आने वाली लागत को कम करने तथा कृषि उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे प्रदेश के कृषि उत्पाद राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय

The prices of inputs and products utilized by farmers will be regularly monitored and if needed the steps will be taken to ensure that agricultural trade is not disrupted.

12. Human Resource Development

Through the State Agriculture Policy, priority will be given to the development of appropriate agriculture technology for providing right direction and imparting dynamism to agricultural development. With the diversification of agriculture, the farming system packages will be developed for small and marginal farmers, considering the local issues such as social, economic, soil and agro-climatic conditions, which will make small holding profitable and use soil, water and environment appropriately. Under different agro-climatic conditions, location specific problems of the farmers and market oriented researchers will be conducted and its results validated at farmers field for their practicability. Researches will be promoted for lowering down the cost of production and improving the quality of produce, so that agricultural produce of the state may compete in national and international markets. Researches

बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, औद्यानिकी, नकदी फसलें तथा पशु, कुक्कुट एवं मत्स्य पालन व्यवसाय से सम्बन्धित लाभ देने वाली उन्नत प्रजातियों के विकास/चयन के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि शोध का संयोजन संबंधित उद्योगों से करते हुए इसके व्यवसायीकरण पर बल दिया जायेगा। जैव प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे नये आयामों

will be encouraged for the development/selection of improved varieties of food grains, pulses, oilseeds, horticultural crops, cash crops and cattle, poultry and fishes. For this, establishment of gene banks will be encouraged and traditional, ethnic and endangered germplasm/species will be conserved. Research will be linked with the related industries and emphasis for its commercialization

तकनीकी एवं मानव संसाधन विकास

- विज्ञान की नई विधाओं का उपयोग कर नवीन प्रजातियों का विकास।
- स्थानीय समस्याओं के अनुसार प्रबन्धन तकनीक का विकास।
- बाजारोन्मुखी शोध को प्रोत्साहन।
- निजी क्षेत्र में कृषि शोध को बढ़ावा।
- कृषि शोध के व्यवसायीकरण हेतु उद्योगों से संयोजन।
- बायो डीजल के प्रयोग को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाये जाने हेतु तकनीकी विकास।
- कृषि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का सुदृढीकरण।
- कृषि महाविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार।
- अनुसंधान तथा शिक्षा के समन्वयन हेतु उपकार का सुदृढीकरण।
- कृषि विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन।
- प्रशिक्षण एवं रोजगारपरक शिक्षा को प्रोत्साहन
- कृषि विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबंधन के स्नातकोत्तर कार्यक्रम का विकास।
- कृषि विश्वविद्यालय में खाद्य एवं डेरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना।

Technical and Human Resource Development

- Evolving new varieties by using frontier areas of science.
- Development of management techniques according to local problems.
- Promoting market oriented research.
- Encouraging agriculture research in private sector.
- Linkage with industries for commercialization of agricultural research.
- Development of economically viable technology for the utilization of bio-diesel.
- Strengthening of laboratories and educational programmes of agriculture universities.
- Quality improvement in education system of agriculture colleges.
- Strengthening of UPCAR for coordination of research and education.
- Motivation of women's in the area of agriculture science and education.
- Encouraging employment oriented education and training programmes.
- Development of post-graduate programme in agri business management at agriculture university.

का उपयोग भी कृषि तकनीकी के विकास के लिए किया जायेगा। बायो डीजल के प्रयोग को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाये जाने हेतु तकनीकी का विकास किया जायेगा।

प्रदेश के एक कृषि विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबंधन के स्नातकोत्तर कार्यक्रम का विकास किया जायेगा तथा इस केन्द्र पर मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, निर्यात एवं इससे संबंधित नियमों आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन हेतु एक कृषि विश्वविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं के साथ खाद्य एवं डेरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना भी की जायेगी। कृषि तकनीकी के विकास के लिए प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाओं तथा यंत्रों का प्राविधान किया जायेगा। इन संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण अग्रणी संस्थानों में कराया जायेगा, जिससे हमारे प्रदेश में स्थित शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों की दक्षता में आशातीत सुधार हो सके और इसका उपयोग आवश्यकतानुसार कृषि तकनीकी के विकास में किया जा सके। कृषि शिक्षा के स्तर में सुदृढीकरण हेतु प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित कराया जायेगा। प्रदेश में स्थित कृषि महाविद्यालयों से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में कृषि स्नातक तथा परास्नातक निकलते हैं। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में ऐसे प्राविधान किये

will be promoted. New areas like biotechnology, information technology, remote sensing, energy, non-conventional energy and environmental protection will be exploited for the development agriculture technology. Economically viable technology will be developed for the utilization of bio-diesel.

One of the agriculture universities would develop a post graduate programme in agri business management and will have expertise on value addition, packaging, export and its laws. Moreover, college of food and dairy technology will also be established at one of the agriculture universities with modern facilities for processing and value addition. In order to develop agricultural technologies, agricultural universities of the state will be equipped with modern laboratories and equipments. Scientists of these institutions will be trained in reputed national and international institutes to enhance the skills of scientists. In order to improve the quality of education in state agriculture universities, teachers will be trained as required.

जायेंगे, जिससे इन महाविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके। कृषि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रदेश स्तर पर अनुसंधान तथा शिक्षा के समन्वय के लिये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। प्रदेश हित में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किये गये अनुसंधानों को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा परख कर प्रदेश के लिए कृषि तकनीक के रूप में संस्तुत किया जायेगा तथा ऐसे प्राथमिकता के क्षेत्रों में, जिसमें अनुसंधान की आवश्यकता हो, परिषद अनुसंधान कराने की व्यवस्था करेगी।

प्रदेश में कृषि अनुसंधान के दायित्वों का निर्वहन अभी सिर्फ सरकारी क्षेत्र के द्वारा ही सम्पन्न होता है। बीज, बागवानी एवं नगदी फसलों तथा कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों तथा कृषि रक्षा रसायनों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती रुचि को देखते हुए भविष्य में कृषि अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा। निजी क्षेत्रों द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से अनुसंधान के दायित्वों का निर्वहन करने पर सरकारी क्षेत्र के वित्तीय श्रोतों से जन सामान्य के कल्याण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों जैसे मृदा, जल तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं बरानी तथा जल प्लावित क्षेत्रों के लिए अनुसंधान की व्यवस्था की जायेगी।

A large number of graduates and post-graduates passed out from agriculture colleges and universities every year. In order to improve the quality of agriculture education, the required amendments will be made in the agriculture education system in the state. U.P. Council of Agricultural Research will be strengthened to coordinate research and education in agriculture universities and agriculture colleges. U.P. Council of Agricultural Research will validate the research outputs of national and international agriculture institutions and will recommend appropriate agriculture technologies for the state. Further the Council will also be responsible for ensuring conduct of research on priority areas of the state.

At present, agriculture research is carried out only by the government sector in the state. Keeping in view the increased interest shown by the private sector in the areas of seeds, horticulture, cash crops and fertilizer and pesticides being used in agriculture, private sector participation will be increased. If private sector bears some responsibility of research, government resources will be diverted for facilitating researches in the areas of public interest such as soil, water and environment protection and rainfed in water logged areas.

नई कृषि नीति के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के नूतन एवं उत्कृष्ट आयामों का विकास, महिला सशक्तीकरण, कृषि वैज्ञानिकों/शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में यथेष्ट बल दिया जायेगा तथा प्रदेश में कृषि अनुसंधान हेतु मण्डी सेस से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

13. कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश में आधे से अधिक कृषक महिलायें हैं, किंतु विभागीय प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी न्यून है, जबकि कृषि संबंधी लगभग 60-70 प्रतिशत कार्य महिलाओं द्वारा ही किये जाते हैं। प्रगतिशील कृषक के रूप में प्रदेश में अत्यंत कम महिलाओं को मान्यता प्राप्त है।

कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण, अनुसंधान, आर्थिक सहायता एवं विपणन में सहयोग दे कर उनके योगदान को प्रभावी बनाया जायेगा। पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर पोषण सुरक्षा में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं तत्संबंधी कार्यक्रमों में संशोधन किये जायेंगे, जिनसे तकनीकों, प्रसार सेवाओं, विपणन तथा ऋण सुविधाओं आदि की पहुँच

Under the New Agriculture Policy, emphasis will be given on innovative methods of vocational agriculture education, women empowerment, training of agriculture scientist and training of trainers. Financial resources for agriculture research will be arranged from mandi cess.

13. Women Empowerment through participation in agriculture

In Uttar Pradesh women constitute more than 50 per cent of total farmers, but their participation in departmental and extension activities are very low whereas 60-70 per cent agriculture activities are performed by women. Few women are recognized as progressive farmers.

In agriculture, the contribution of women will be made more effective by providing them training, research, economical support and marketing facilities. Keeping in view the importance of women in nutrition security at family and community level, the agriculture and related programmes will be revised so that women receive the maximum benefit of technologies, extension services, marketing and credit facilities. The participation of women in training and extension

महिलाओं तक सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रमों में महिला कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके साथ-साथ ग्रामीण महिला समूहों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कृषि तकनीकों से अवगत कराया जायेगा। कृषि प्रशिक्षण संस्थाओं तथा पाठ्यक्रमों को जेन्डर संवेदनशील बनाया जायेगा। कृषि प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यों में महिला कृषकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रसार व अन्य उच्च स्तरों पर तकनीकी व प्रबंधकीय कर्मचारियों में महिलाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जायेगा।

महिला सशक्तिकरण

- प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रमों में महिला कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- प्रशिक्षण संस्थाओं तथा पाठ्यक्रम को जेन्डर संवेदनशील बनाया जाना।
- कृषि तकनीक एवं उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल विकसित करने के लिये शोध एवं प्रसार को प्रोत्साहन।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन।
- महिलाओं द्वारा संचालित उद्योगों में सहकारी समितियों द्वारा विपणन व्यवस्था।
- महिला उद्यमियों के लिये प्रशिक्षण, परामर्श सेवा एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरल प्रक्रियाओं से ऋण की समुचित व्यवस्था।
- कृषि ऋण आबंटन में महिलाओं को प्राथमिकता।
- भूमि के स्वामित्व तथा संबंधित कृषि कार्यों में महिलाओं को अधिकार।

programmes will be promoted. In addition, rural women groups will be provided with latest agriculture technical knowledge through informal education. The agriculture training institutes/ organization and their curriculum will be made gender sensitive. In order to ensure the participation of women in training and extension activities, their employment at extension, technical and administrative level will be promoted.

Women Empowerment

- Promotion of participation of women in training and agriculture extension activities.
- Making the training institution and curricula gender sensitive.
- Promotion of research and extension to develop agriculture technology and equipments as per the requirement of women.
- Promotion of Women Self Help Groups.
- Marketing of products produced by women through cooperative societies.
- Facilities for training, consultancy services and credits through various credit institutions by simplifying the procedures.
- Promotion of women in disbursement of credit.
- Promotion of women in the ownership of land and other agriculture related activities.

कृषि में महिलाओं की व्यापक भूमिका को देखते हुए कृषि तकनीक एवं उपकरणों को उनके अनुकूल विकसित करने के लिये शोध एवं प्रसार को प्रोत्साहित किया जायेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को सहकारी खेती के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा तथा कृषि एवं संबंधित कार्यों (उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन) से जुड़ी प्रक्रियाओं का महिलाओं के लिये सरलीकरण किया जायेगा। पशुपालन इकाईयों, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्पोत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण को महिलाओं द्वारा कुटीर उद्योग के रूप में अपनाये जाने व संबंधित क्रियाकलापों के लिये आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिये जायेंगे तथा इनमें महिला स्वयं समूहों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

कृषि संबद्ध उत्पादक क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संचालित उद्योगों में सहकारी समितियों का गठन कर विपणन की सुनियोजित व्यवस्था कराई जायेगी। कृषि आधारित महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रशिक्षण, परामर्श सेवा एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण दिलाये जाने की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कृषि ऋण आबंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। कृषि आधारित गैर सरकारी संगठनों, महिला

In view of important role played by women in agriculture, research to develop appropriate agriculture technologies and machineries as per the requirement of women will be encouraged. Women self help groups will be promoted to take up cooperative farming and the various activities connected with agriculture (production, processing and marketing) will be simplified. Women will be trained to take up small scale cottage industry in the field of animal husbandry and milk, fisheries, poultry, goatary, apiculture, sericulture mushroom production, floriculture and food processing. In this women self help groups will be promoted.

Cooperative Societies will be formed to ensure marketing of various agriculture products produced by women in small scale industry. In order to promote women entrepreneurship, facilities will be provided for training, consultancy services and women will be given priority in providing them credits through various credit institutions by simplifying the procedures. Agriculture based non-governmental organizations, women water management groups and community women groups will be promoted. Small units, women self help groups will be provided easy financial support, raw material and marketing facilities. The interest of women

जल उपभोक्ता/प्रबंधन समूहों तथा सामुदायिक महिला समूहों को प्रोत्साहित किया जायेगा। लघु इकाइयों, महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण, कच्चा माल एवं विपणन की सरल सुविधायें प्रदान की जायेंगी। वैश्वीकरण का कृषक समुदाय, विशेषतः महिलाओं पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन कर टिकाऊ कृषि के प्रोत्साहन के माध्यम से कृषक महिलाओं के हितों की रक्षा की जायेगी।

भूमि के स्वामित्व तथा संबंधित कृषि कार्यों में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये जायेंगे।

will be safeguarded by studying the long term effect of globalization on agriculture community specially women through promotion of sustainable agriculture.

The rights of women will be ensured in the ownership of land and other agriculture related activities.

14. ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं का विकास

ग्रामीण अवस्थापना के अन्तर्गत सड़क, विद्युत, सिंचाई, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन तथा ऋण देने वाली संस्थायें कृषि विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास में पंचायत राज संस्थाओं तथा एग्रो कोऑपरेटिव इनपुट सोसाईटी की सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के कम होने का एक बहुत ही बड़ा कारण ग्रामीण अवस्थापनाओं में घटता हुआ पूँजी निवेश है।

ग्रामीण अवस्थापना

- ग्रामीण अवस्थापनाओं में निवेश को प्रोत्साहन
- ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास में पंचायत राज संस्थाओं तथा एग्रो कोऑपरेटिव इनपुट सोसाईटी की सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग।
- सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु निवेश को बढ़ावा।
- ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, प्रसंस्करण एवं विपणन अवस्थापनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन।
- समस्त ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना।
- कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति।
- उत्पादन क्षेत्र में भण्डारण एवं प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बाजार अधिसूचना केन्द्र की स्थापना

14. Development of rural infrastructural facilities

Rural infrastructure facilities such as organization related with road, electricity, irrigation, food processing, marketing and credit are directly linked with the agriculture development.

In the development of rural infrastructure, increased involvement of panchayati raj institutions and cooperative input society will be ensured. One of the major reasons for low growth rate in agriculture sector is the low investment in rural infrastructure, therefore, in order to enhance the agriculture growth, investment in rural infrastructure will be increased.

Rural Infrastructure

- Promotion of investment for rural infrastructure
- Involvement of Panchayati Raj institutions and agro-cooperative input society for development of rural infrastructure.
- Investment for irrigation facilities.
- Encouragement to private sector to invest in energy production, processing and marketing infrastructure.
- Linking of villages with roads.
- Sufficient supply of electricity to agriculture and agriculture based industries.
- Storage and processing facilities in production areas.

अतः कृषि विकास की गति में तेजी लाने के लिए ग्रामीण अवस्थापनाओं में पूँजी निवेश बढ़ाया जायेगा। सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, प्रसंस्करण एवं बाजार सम्बन्धी अवस्थापनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित सड़क नीति के अनुसार सभी ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

सिंचाई परियोजनाओं के अधूरे कार्यों को पूर्ण करते हुये जल क्षमता का समुचित उपयोग किया जायेगा। जल निकासी की व्यवस्था के सुदृढीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी।

उत्पादन क्षेत्र में भण्डारण एवं प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे कृषि उत्पाद का किसानों को अधिकाधिक मूल्य मिल सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। कृषि उत्पादों को बाजारों तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए दुलाई की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी तथा अवशीतन श्रृंखला एवं शीतगृहों की स्थापना की जायेगी।

In addition to government sector, private sector will also be encouraged to invest in non-conventional sources of energy, processing and development of marketing infrastructure. All the villages will be linked by road as per government's road policy. Sufficient supply of electricity will be ensured in the rural areas for promotion of agriculture and agriculture based industries.

The incomplete work of irrigation projects will be completed for optimum water utilization capacity. Strengthening of drainage system facilities will be given priority.

Encouragement to establish storage and processing units at production centre will be promoted so that farmers get maximum prices of their products and rural employment opportunities become available at rural level. In order to ensure the transport of agriculture produce to the market, facilities for transport and establishment of cool chain and cold storage will be strengthened.

बाजार की माँग के अनुरूप गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं प्रसंस्करण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बाजार अधिसूचना केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

15. मत्स्य पालन “नील क्रांति” को बढ़ावा

देश में मत्स्य उत्पादन में 2.77 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ प्रदेश का तीसरा स्थान है। प्रदेश में मत्स्य आहार पर निर्भर जनसंख्या के लिये कुल आवश्यकता 11.12 मीट्रिक टन है। प्रदेश में मत्स्य उपलब्धता तथा आवश्यकता के मध्य 8.35 लाख मीट्रिक टन का अन्तर है।

मत्स्य पालन एवं मत्स्य उत्पाद विकास ग्रामीण रोजगार सृजन व आर्थिक सुदृढीकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके दृष्टिगत मत्स्य विकास हेतु ग्राम, जिला व राज्य स्तर पर एकीकृत “नील क्रांति” की रणनीति अपनाई जायेगी। प्रदेश को मत्स्य उत्पादन में स्वावलम्बी व निर्यात परख बनाने के उद्देश्य से बैंक ऋण, अनुदान, तकनीकी प्रसार, मानव क्षमता विकास आदि आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को विकसित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 तथा अन्य आवश्यक अधिनियमों को उत्पादन क्षमता में विकास के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार व्यवहारिक किया जायेगा।

Market information centres will be established through use of information technology for development of quality produce as per the demand of the market.

15. "Blue Revolution" Promotion of Fisheries

With a production of 2.77 lakh tonnes of fishes, the state ranks third in the country. Total requirement of fish production for population who are dependent on fish is 11.12 lakh tonnes. There is a gap of 8.35 lakh tonnes of fishes between the actual requirement and availability.

Fisheries and fish products hold an important place in generation of rural employment and economic upliftment. Keeping this in view, for fisheries development, strategies such as "Blue Revolution" at village, districts and state level will be taken up. Programmes for making fish production self dependent and export oriented will be developed and for this bank credits, subsidies, technology transfer and human resource development will be ensured. Uttar Pradesh Fisheries Act 1948 and other Acts will be amended to promote the fish production capacity.

मत्स्य पालन “नील कान्ति”

- प्रदेश को मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन में स्वावलंबी बनाना।
- दो वर्षों में दुगुना मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन।
- विशिष्ट मत्स्य उत्पादन यथा मीठा पानी महा झींगा तथा आभूषणीय मत्स्य उत्पादन में विकास।
- निजी क्षेत्र में हैचरी व नर्सरी को बढ़ावा।
- जलाशयों व झील क्षेत्र जल संसाधनों का सुनियोजित विकास।
- तालाबों, नदी तथा जल प्लावित क्षेत्र तथा एल्कालाइन/सैलाइन क्षेत्रों का सुनियोजित विकास।
- मत्स्य विपणन हेतु कोल्ड चेन की स्थापना।
- मत्स्य सम्पदा संरक्षण पर बल।
- मत्स्य बेल्ट योजना एवं उत्तम फिश फीड उद्योगों की निजी क्षेत्र में स्थापना।
- मत्स्य पालकों की क्षमता विकास एवं आर्थिक उत्थान।
- विभागीय ढाँचे एवं प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी से मानव उत्पादकता में वृद्धि।
- प्रदेश में मछली के विपणन हेतु फिश मण्डी की स्थापना।

अन्तः स्थलीय मत्स्य पालन में क्षमता विकास हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में सुनियोजित मत्स्य विकास के साथ-साथ नये जल प्लावित क्षेत्र, झील क्षेत्र, नदी क्षेत्र तथा एल्कालाइन/ सैलाइन क्षेत्रों को विशेष रणनीति के तहत आच्छादित किया जायेगा। राजकीय क्षेत्र में उपलब्ध वृहद तथा मध्यम जलाशयों में उत्पादकता बढ़ाने हेतु विशेष योजनाओं की संरचना की जायेगी। गुणवत्तायुक्त फिश फीड की उपलब्धता के

Fisheries "Blue Revolution"

- To make the state self sufficient in the production of fish and fingerlings.
- Doubling the fish and fish seed production in two years.
- Promotion of specialized fish production such as shrimp and ornamental fish production.
- Encouragement to establish hatchery and nursery in the private sector.
- Integrated development of ponds and lakes areas.
- Integrated development of rivers and flood prone/water logged areas and alkaline/saline areas.
- Establishment of cold chain for fish marketing.
- Conservation of fisheries resources.
- Encouragement to establish improved fish feed industry in the private sector.
- Improving efficiency of fishermen and their economic upliftment.
- Improvement in human efficiency through organizational structure and utilization of information technology.
- Establishment of fish mandis for marketing of fishes in the state.

In order to increase inland fish production, besides implementing integrated fish farming programmes, new water resources such as water logged areas, lakes, rivers and alkaline/saline areas will be tapped for fisheries development. Special programmes will be developed for improving the productivity of large and medium ponds available in the government sector.

ध्येय से फिश फीड प्लान्ट की स्थापना की जायेगी तथा निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन हैचरियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। एरिया एप्रोच सिस्टम के अन्तर्गत फिश बेल्ट योजना क्रियान्वित की जायेगी। समन्वित मत्स्य पालन (इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग) को बढ़ावा दिया जायेगा तथा भारतीय मेजरकार्प मछलियों के अतिरिक्त, आर्थिक व पौष्टिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण कैट फिशेज के पालन को प्रोत्साहित किया जायेगा। आभूषणीय मत्स्य प्रकार, विशिष्ट मत्स्य उत्पाद जैसे झींगा उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि हेतु स्थानीय ब्रीडिंग व विस्तार हेतु योजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा। मत्स्य विकास कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा व मत्स्य विपणन की उचित व्यवस्था की जायेगी। जल प्रदूषण नियंत्रण व मत्स्य संपदा की पुनर्स्थापना तथा संरक्षण पर बल दिया जायेगा।

Establishment of fish feed production plant for ensuring availability of quality fish feed and private hatcheries will be promoted for quality fish seed. Fish belt scheme will be implemented under area approach system. Integrated fish farming will be promoted and in addition to the Indian Major Carp, catfish cultivation will also be promoted in view of its economic and nutritional value. Programmes will be developed and implemented for ornamental fisheries and breeding facilities at local level will be developed for specialized fish products such as shrimp. Private sector participation will be ensured in promotion of fisheries production and proper marketing arrangements will be made. Emphasis will be given to control water pollution and conservation and rehabilitation of fisheries resources.

16. गन्ना की उत्पादकता बढ़ाने का विशेष कार्यक्रम

गन्ना प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना एवं चीनी उत्पादन वाला प्रदेश है। देश का आधे से अधिक गन्ना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है तथा सकल राष्ट्रीय चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी वर्ष 2004-05 में लगभग 40 प्रतिशत रही है। प्रदेश की गन्ना उत्पादकता 60.65 टन प्रति हेक्टेयर है जो राष्ट्रीय औसत से अभी कम है। अतः गन्ना विकास नीति का लक्ष्य, कम से कम जमीन में अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने की है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त वर्ष 2006-07 तक प्रदेश में गन्ना उत्पादकता 62.50 टन प्रति हेक्टेयर तथा गन्ना उत्पादन 1375 लाख टन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा

गन्ना विकास

- कम जमीन में अधिक गन्ना उत्पादन।
- गन्ने की अधिक उत्पादकता व शर्करा वाली प्रजातियों का विकास, प्रसार एवं बीजोत्पादन।
- अन्तः फसलों को प्रोत्साहन।
- जलप्लावित व ऊसर क्षेत्रों हेतु उपयुक्त गन्ना प्रजातियों का विकास एवं उत्पादन तकनीक का उच्च मानकीकरण।
- सघन गन्ना विकास, कीट रोगों से फसल सुरक्षा व कृषि निवेशों की सहज उपलब्धता।
- शोध परिणामों का तकनीकी हस्तांतरण।
- लाभकारी गन्ना मूल्य का समय से भुगतान।
- नई चीनी मिलों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार से बढ़ी उपज की खपत सुनिश्चित कराना।

16. Special programme for improving Sugarcane Productivity

Sugarcane is a main cash crop of the state. The state has highest area under this crop in the country having highest production of sugar which is 40 percent of total country's production. The productivity of cane during the year 2004-05 was 60.65 mt per ha which is less than the national average. Hence the target under cane development policy is to increase total cane production by increasing its productivity. The target of 1375 lac mt cane production and 6250 mt productivity has been fixed for the last year (2006-2007) of the 10th FYP and this will be achieved by

Sugarcane Development

- Enhancing productivity.
- Tailoring varieties with high sugar content along with area extension and quantum of seed production.
- Encouraging inter cropping.
- Tailoring sugarcane varieties for water logged and saline, sodic conditions and standardization of production techniques.
- Integrated sugarcane development, control of insect-pest and ensuring availability of inputs.
- Transfer of proven technologies from researches.
- Timely payment of profitable cane prices.
- Establishment of new sugar mills and increase in crushing capacity of old mills.

गया है जिसकी प्राप्ति अधिक शर्करा एवं उत्पादकता देने वाली गन्ना प्रजातियों का विकास बीजोत्पादन, प्रजातीय बीज बदलाव व वितरण तथा प्रसार का कार्यक्रम अपना कर किया जायेगा। पेड़ी गन्ना प्रबन्धन से उत्पादकता बढ़ाना, गन्ने के साथ अन्तःफसलों को प्रोत्साहन, प्रदेश के जलप्लावित व ऊसर क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्मों का विकास तथा उत्पादन तकनीक का उच्चतर मानकीकरण करते हुए सघन गन्ना विकास की योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी। गन्ना फसल की रोग एवं कीटों से सुरक्षा के साथ किसानों को कृषि निवेशों की आसानी से सुलभता सुनिश्चित की जायेगी। प्राथमिकता देते हुए गन्ना शोध परिणामों एवं तकनीक का हस्तांतरण किसानों तक किया जायेगा। समय से गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था व गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा जिससे किसानों में गन्ना खेती के प्रति उत्साह व रुझान बना रहे तथा नई चीनी मिलों की स्थापना व गन्ना पेराई क्षमता में विस्तार करा कर बढ़े गन्ना उत्पादन की खपत भी सुनिश्चित कराई जायेगी।

tailoring cane varieties of higher sugar percentage, innovative seed production programmes, higher replacement of seed and effective transfer of production technologies.

Integrated cane development schemes will be implemented by tailoring appropriate varieties for waterlogged and problematic soils and also be encouraging ratooning and inter cropping. Timely input supply will be ensured and effective measures will be undertaken to control diseases of pests. Proven technologies will be disseminate to farmers at priority basis. Timely supply of cane to sugar mills and payment of cane dues will also be ensured to sustain the interest of the farmers. In order to ensure crushing of complete production establishment of few sugar mills and enhancement in crushing capacity of few old mills will be undertaken.

17. रेशम उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार

उत्तर प्रदेश में रेशम कटाई की दीर्घकालीन परम्परा है तथा प्रदेश एक प्रमुख रेशम वस्त्रोत्पादक है। राज्य की कृषि जलवायु परिस्थितियों बड़े पैमाने पर रेशम उत्पादन के लिये उपयुक्त हैं तथा पर्वतीय क्षेत्र के निकटवर्ती लगभग सभी जनपदों में बाईबोलटीन रेशम के उत्पादन की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। शहतूत की खेती तथा रेशम कीट पालन कृषकों एवं कृषि श्रमिकों के लिये महत्वपूर्ण अनुपूरक व्यवसाय बन सकता है।

रेशम उत्पादन

- राजकीय इकाइयों का संचालन सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों से कराकर आत्मनिर्भरता प्रदान करना।
- राजकीय क्षेत्र में एरी रेशम को बढ़ावा।
- निजी क्षेत्र में शहतूत वृक्षारोपण तथा टसर रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन।

रेशम उत्पादन हेतु राजकीय क्षेत्र की इकाइयों को सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। निजी क्षेत्र में शहतूत वृक्षारोपण के प्रयास किये जायेंगे। राजकीय/निजी क्षेत्रों में एरी रेशम तथा टसर रेशम को बढ़ावा दिया जायेगा।

17. Silk production for self employment

There is historical tradition of sericulture in Uttar Pradesh and the state is one of the leading silk cloth producers. The state's climatic conditions are favourable for sericulture and there is ample scope for Bivoltine sericulture in adjoining districts to hill areas. Mulberry plantation and sericulture is an important supplementary enterprise for farmers and landless labourers.

Sericulture

- Sustainability of state sericulture units through participation of cooperative societies and self help groups.
- Promotion of Eri silk on government farms,
- Encouragement for mulberry plantation and production of Tassar silk.

The state sericulture farm will be made self-sustainable through participation of cooperative societies and self help groups. Mulberry plantation will be encouraged private sector also. Encouragement for Eri silk and Tassar silk will also be given in both public and private sector.

18. संस्थागत संरचना एवं प्रबन्धन सुधार को प्रोत्साहन

कृषि की वृद्धि दर में गति लाने, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने एवं वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था को अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से कृषि में संस्थागत एवं प्रबंधन संबंधी बदलाव आवश्यक हैं। प्रदेश में छोटी एवं सीमान्त जोतों की संख्या बहुत ही अधिक होने के कारण ऐसे बदलाव आवश्यक होंगे, जिनसे इन छोटी जोतों की उत्पादकता बढ़ाकर अधिक लाभ अर्जित किया जा सके।

प्रबन्धन सुधार

- भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एवं किसान बहीखाता की व्यवस्था।
- ऋण उपलब्धता हेतु संस्थागत परिवर्तन तथा माइक्रो क्रेडिट योजना को प्रोत्साहन।
- संविदा कृषि को प्रोत्साहन।
- कृषि प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी (जी.आई.एस., सुदूर संवेदन आदि) का अधिकाधिक उपयोग।
- प्रशासनिक कार्यों के स्थान पर तकनीकी कार्यों को प्रधानता।

18. Structural Reforms and Institutional Management

Reforms in the institutional setup as well as management in agriculture sector is necessary for increasing the agriculture growth, providing remunerative prices to the farmers for their produce, and for liberalization of agricultural production, processing and marketing facilities in the context of globalization. Keeping in view the large number of small and marginal farmers, such changes will be necessary which will increase the productivity of the small holdings for increased profits.

Institutional Structure management Reforms

- Computerization of revenue records and provision of Kisan Bahikhata.
- Changes in institutional structure for promotion to micro credit
- Promotion to contract farming
- Increased use of information technology (GIS, remote sensing).
- Emphasis on technical aspect than administrative work.

भूमि सुधार की प्रक्रिया को और गतिशील एवं प्रभावी बनाया जायेगा। भू अभिलेखों को अद्यतन करके कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा तथा किसानों को उनकी भूमि के लिए किसान बहीखाता की व्यवस्था की जायेगी। भूमि के स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी को मान्यता दी जायेगी। समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कृषकों को उनकी उपज हेतु सर्वाधिक मूल्य दिलाने एवं कृषक हितों की रक्षा करते हुए कान्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत बदलाव किया जायेगा। सहकारी संस्थाओं एवं किसान समूहों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जायेगा, जिससे किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। बैंकों की पहुँच लोगों तक बढ़ाने के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

Land reforms process will be made effective and given momentum. Land records will be computerised and Kisan Bahi Khata will be provided to farmers. The rights of women in the land ownership will be recognized. In accordance with the regulations passed by the Central and State Government from time to time, contract farming will be promoted keeping in view the interest of the farmers so that farmers get remunerative prices for their produce.

Institutional charges will be made for providing credits to farmers in rural areas. Cooperative institutions and farmer groups will be linked to nationalized banks so that farmers can get the credit facilities easily in order to extend the reach of banks. Micro credit schemes will be promoted.

कृषि एवं संबंधित विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये कम्प्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया जायेगा तथा राष्ट्रीय नीति के अनुसार विभिन्न विभागों में ई-गवर्नेन्स की व्यवस्था सरकार से उपभोक्ता तक लागू की जायेगी। प्रशासनिक कार्यों के स्थान पर तकनीकी कार्यों को प्रधानता दी जायेगी।

कृषि डेटाबेस की गुणवत्ता में सुधार करते हुये इसका सुदृढीकरण किया जायेगा। सुदूर संवेदन, जी.आई.एस. तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रदेश के गाँवों तक कृषि तकनीक, मौसम सम्बन्धी एवं कृषि उत्पाद के मूल्य तथा बाजार संबंधी सूचनायें समय से उपलब्ध कराई जायेंगी।

19. समय से उपलब्धता हेतु आगत प्रबन्धन

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा, कृषि यंत्र, सिंचाई, ऋण, एवं तकनीकी हस्तान्तरण को कृषकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

समस्त फसलों की वर्तमान बीज प्रतिस्थापन दर 18 प्रतिशत को बढ़ाकर 35 प्रतिशत एवं तिलहनी फसलों में 75 प्रतिशत

In order to improve the efficiency of agriculture and related departments, use of information technology will be given priority and the programmes of e-governance from government to citizen as per the national e-governance policy will be implemented. Emphasis shall be placed on technical aspects rather than the mere administrative. Agriculture database will be strengthened qualitatively.

Farmers will be provided information on agriculture technology, weather forecast and prices of agricultural produce and market related information through use of remote sensing, GIS, and information technology.

19. Input Management for timely availability

To increase agriculture production, seed, fertilizers, plant protection equipments, irrigation, credit and technology transfer will be provided as per farmers need.

Present seed replacement rate of 18 percent will be increased up to 35 percent for major crops and upto 75 percent in oilseeds. To ensure the availability of improved and quality seeds, breeder and foundation seed production will be done in agriculture universities and

आगत प्रबन्धन

- जनपद स्तर पर आवश्यकता का ऑकलन तथा समय से गुणवत्तायुक्त आगतों की पूर्ति।
- नॉन-मॉनीटरी इनपुट्स का व्यापक प्रचार-प्रसार।
- बीज, जैव उर्वरकों, जैव नियंत्रकों एवं जैव रसायनों के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन।
- कृषि आगतों की सामयिक सुलभता के लिये एकल कृषि निवेश (Single Window System) को प्रोत्साहन।
- प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों का आयोजन।
- निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित आगतों के बहुस्थानीय परीक्षणोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर प्रोत्साहन।

किया जायेगा। उन्नत एवं गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं राजकीय प्रक्षेत्रों पर अभिजनक एवं आधारीय बीजोत्पादन किया जायेगा तथा प्रमाणित बीज उत्पादन में बीज ग्रामों, कृषक समूहों एवं निजी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। प्रमाणित बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु अवस्थापनाओं के साथ-साथ विधायन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। संकर बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

बीज

- बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि।
- प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु बीज ग्रामों, कृषक समूहों एवं निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन।
- बीज विधायन केन्द्रों की स्थापना।
- संकर बीज उत्पादन एवं प्रयोग को प्रोत्साहन।
- अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि के लिये बीज बैंक की स्थापना।

Government farms. The participation of Seed Village, farmer groups and private sector will be ensured for the production of certified seed. To motivate production of certified seeds, processing units and other infrastructure will be established.

Input Management

- Assessment of requirement at district level and ensuring the availability of quality inputs in time.
- Extensive publicity of non-monitory inputs.
- Seeds, bio-fertilizer, bio-control and bio-chemicals production at local level by motivation.
- Motivation for single window system for timely availability of Agriculture Inputs.
- Arrangement of Training & Demonstration.
- Motivation to private sector produced inputs on the basis of multi places trials and experiment.
- Motivation for kitchen credit card.

For production and distribution of hybrid seeds, public and private sector will be encouraged. Seed will be made available before season by forming long term plans as per district demand. Seed Bank will be

Seed

- Increase in seed replacement rate.
- Motivation to private institutions, seed villages, farmer groups for producing certified seeds.
- Establishment of seed processing units.
- Production of hybrid seed and motivation for it use.
- Establishment of seed bank for flood & drought conditions.

फसल मौसम से पूर्व ही जनपदों की माँग के अनुरूप समय से वितरण हेतु दीर्घकालीन योजना बनाकर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बीज बैंक की स्थापना की जायेगी।

सशक्त मृदा परीक्षण कार्यक्रम अपनाकर संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। वर्तमान में प्रदेश में एन.पी.के. प्रयोग का अनुपात 15:5:1 है, जिसे 4:2:1 करने के प्रयास किये जायेंगे। उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फेटिक एवं पोटेसिक उर्वरकों, की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु दीर्घकालीन योजना बनाते हुये मौसम से पूर्व माँग के अनुरूप क्षेत्रानुसार बफर स्टॉक सुनिश्चित किये प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषकों को उपलब्ध कराये जाने वाले उर्वरकों की आपूर्ति के नियंत्रण को प्रभावी एवं

established to fulfill the contingent requirements of flood and drought.

The use of balance fertilizer will be promoted with increase soil testing programme. The Present ratio of N.P.K. is 15:5:1 in state, which will be brought upto the level of 4:2:1

Buffer stock of fertilizer specially phosphatic and Potash will be arranged before season ,by preparing long-term plan of the area. The use of micro nutrients will be promoted in the deficient areas. To make timely availability of quality fertilizers among farmers, participation of public, private and cooperative sectors will be ensured. Effective measures will be taken to ensure quality and prevention in the adulteration of fertilizers. Analysis of fertilizer sample will be conducted for quality control under the

उर्वरक

- उर्वरकों का संतुलित उपयोग।
- द्वितीय एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग को प्रोत्साहन।
- जैव उर्वरकों एवं जीवांश खादों जैसे नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट एवं हरी खाद को विशेष प्रोत्साहन।
- जैव उर्वरकों के उत्पादन हेतु प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन।
- उर्वरक वितरण में सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी।

Fertilizer

- Balanced use of fertilizers.
- Motivation for use of micronutrients.
- Increase in the use of bio-fertilizer and bio-compost.
- Strengthening of labs. to produce bio-fertilizers.
- Strict enforcement of quality control act.
- Participation of public, cooperative and private sector in Fertilizer distribution.

गुणवत्तायुक्त बनाते हुये इनके समय से वितरण के लिये सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्रों के वितरण केन्द्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। उर्वरकों में मिलावट रोकने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी उपाय किये जायेंगे। विभिन्न अधिनियम/नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत गुणवत्ता नियंत्रण हेतु लिये गये नमूनों का विश्लेषण किया जायेगा। पोषक तत्वों की कमी को पूर्ण करने एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखने के लिये जैव उर्वरकों एवं जीवांश खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। जैविक उर्वरकों के उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिये प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण एवं उन्हें अधिसूचित कराने की कार्यवाही की जायेगी एवं इससे सम्बन्धित अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जायेगा।

विभिन्न रोग एवं कीट नियंत्रण के लिये एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन पर विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु

कृषि रक्षा

- एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन को प्रोत्साहन।
- गुणवत्तायुक्त जैव नियंत्रकों एवं जैव रसायनों के उत्पादन हेतु प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण।
- सुरक्षित कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग को बढ़ावा।

provisions of fertilizer control order and essential commodity act. To fulfill the nutritional requirements and maintaining the soil fertility, use of bio-fertilizer and compost will be promoted. For the production of bio-fertilizers and its quality control, laboratories and their notification as per rule will be ensured.

Special programme on IPM will be conducted in order to control disease & pest. Production and distribution of quality bio-agent and chemicals will be ensured. New innovations and researches will be encouraged.

Plant Protection

- Motivation on IPM.
- Strengthening of Labs for quality bio-agent and bio-chemical products.
- Enhancing use of protected plant protection chemical.

गुणवत्तायुक्त जैव नियंत्रकों एवं जैव रसायनों का उत्पादन एवं वितरण सुनिश्चित सुनिश्चित किया जायेगा तथा नवीन अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कृषि रक्षा रसायन भी उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ऐसे कृषि रक्षा रसायनों को बढ़ावा दिया जायेगा, जिनके अवशेष हानिकारक स्तर से कम रहें। जैव नियंत्रकों एवं जैव रसायनों के उत्पादन हेतु प्रयोगशालाओं को क्रियाशील एवं सुदृढ़ किया जायेगा तथा इनके स्थानीय स्तर पर उत्पादन हेतु किसान समूहों तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

शस्य क्रियायें कुशलता एवं समय से सम्पादित करने के लिये बैल तथा ट्रैक्टर चालित बहुपयोगी कृषि यंत्रों के विकास एवं प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि यंत्रों के निर्माण, वितरण एवं मरम्मत हेतु निजी क्षेत्र (village artosome) को प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कस्टम हायर सर्विसेज को बढ़ावा दिया जायेगा।

कृषि यंत्र

- बहुपयोगी कृषि यंत्रों के विकास एवं प्रयोग को प्रोत्साहन।
- यंत्रों के निर्माण, वितरण एवं मरम्मत हेतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन।
- कस्टम हायर सर्विसेज को बढ़ावा।

Emphasis will be given to promote the bullock and tractor driven multipurpose equipment for timely and efficient agronomical package of practices. The private sector (village artisan) will be encouraged for manufacturing, repairing and distribution of agriculture implements. Custom hire services will be promoted for ensuring availability of agriculture implements.

Agriculture Machinery

- Motivation for the development and use of multi purpose agriculture implements.
- Encouragement to private sector for production, distribution and repair of implements.
- Encouragement to custom hire services.

सिंचाई जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये नहरों के संचालन को माँग के अनुरूप रखा जायेगा। जिन स्थानों में भूजल स्तर ऊँचा है वहाँ ट्यूबवैल एवं अन्य छोटे सिंचाई के साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि कार्यों को समय से पूर्ण करने के लिये विद्युत आपूर्ति एवं ईंधन उपलब्धता में वृद्धि की जायेगी।

सिंचाई

- नहरों का संचालन माँग के अनुरूप अंतिम छोर तक।
- ऊँचे भूजल वाले क्षेत्रों में ट्यूबवेल को प्रोत्साहन।
- सिंचाई के लिये विद्युत एवं डीजल की उपलब्धता के साथ-साथ गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा।

वर्तमान में कृषकों को अधिकांशतः विभिन्न कृषि आगतों को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता है। अतः कृषि आगतों की सामयिक सुलभता एक ही स्थान पर सुनिश्चित कराने के लिए निगमित संस्थाओं के एकल कृषि निवेश स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जायेगा। निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित आगतों का बहुस्थानीय परीक्षण कर इनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

The operation of canal irrigation will be according to the local demand. The use of tube-well irrigation and minor irrigation facility will be promoted in higher ground water level areas. Efforts will be made to increase electric supply and fuel availability for timely agricultural operations.

Irrigation

- Operation of canals on demand up to tail end.
- Promotion of tube wells in high water table areas.
- Promotion of non-conventional energy via-a-vis ensuring availability of diesel and electricity.

Presently the farmers have to go to different places to procure the agricultural inputs. Therefore, in order to ensure timely supply of all the inputs at one place through regulated agency, a single window system will be promoted. The use of input produced by private agencies will be promoted after multi location trials.

प्रदेश के कृषकों की कृषि ऋण आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि कार्यों के लिये अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन निवेशों हेतु ऋण की वार्षिक उपलब्धता को बढ़ाने पर बल दिया जायेगा तथा इस हेतु संस्थागत वित्त को प्रोत्साहित किया जायेगा। निवेशों/उर्वरकों का वितरण सहकारिता विभाग द्वारा कराये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा तथा कृषि निवेशों की आपूर्ति हेतु साफ्ट लोन की व्यवस्था की जायेगी। स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे वे कृषि ऋण की पूर्ति में सहायक बन सकें। इसके लिये सरकारी नियमों में यथावश्यक संशोधन किये जायेंगे। कृषकों को कृषि ऋण लेने एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग में सुगमता की दृष्टि से किसान पास बुक/क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को व्यापक बनाया जायेगा।

कृषि ऋण

- कृषि कार्यों के लिये अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की वार्षिक उपलब्धता बढ़ाने पर बल तथा क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा।
- कृषि निवेशों की आपूर्ति हेतु साफ्ट लोन की व्यवस्था।
- किसान पास बुक/क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को प्रोत्साहन।

As per the agriculture credit need of farmers for agriculture purposes, short and long term credit will be enhanced and institutional finance will be encouraged. Emphasis will be given to distribute the agricultural inputs through cooperative sector and soft loan arrangements will be done for agriculture inputs. Self Help Groups and non-government organizations will be motivated for facilitating agriculture inputs. Prevailing rule, as per need, will be rectified. The use of kisan credit card will be enhanced in order to facilitate the farmers for availing agriculture credit and other facilities.

Agriculture Credit

- Emphasis on the use of credit card and making available the short and long term loan for agriculture purpose.
- Arrangement of soft loan for the supply of agriculture inputs.
- Motivation to use the kisan credit card.

संस्तुत कृषि तकनीक का समय पर प्रयोग करके ही उत्पादन लागत को कम तथा कृषि को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाया जा सकता है। अधिकांश आर्थिक रूप से पिछड़े लघु एवं सीमान्त कृषकों में संस्तुत कृषि तकनीकी की जानकारी का अभाव है। अतः ऐसे कृषकों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु नान मॉनीटरी इनपुट्स के प्रयोग के सन्दर्भ में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

कृषि उत्पादन में वित्तीय कृषि निवेशों के साथ मानव प्रबन्धन भी महत्वपूर्ण है। अतः इस कार्य से जुड़े हुए मानव संसाधन के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें कृषि कार्यो के सामयिक क्रियान्वयन पर विशेष बल होगा।

The agriculture can be made profitable by timely adopting the recommended package of practices, in order to reduce the cost for production for Agri produce. Mostly, financially deprived of the small and marginal farmers are unaware of the recommended package of practices, so proper awareness drive will be conducted, specially for non-monetary inputs.

Human resources management along with financial, agriculture inputs is very important; hence the training and demonstrations programmes will be organised for capacity building of the concerned people; and emphasis will be on timely execution of agricultural programmes.

अनुश्रवण एवं समीक्षा

प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कृषि नीति कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आगामी दस वर्षों में होने वाले उत्तरोत्तर विकास की आधारशिला होगी। नीति की सफलता क्रियान्वयन से सम्बद्ध उत्प्रेरण एवं समप्रण पर निर्भर करेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक कार्यकारी दल द्वारा नीति के प्रत्येक मुख्य बिन्दु के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की जायेगी जिसके अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, अवरोधों को दूर करने के प्रयास तथा यथा आवश्यक संशोधन विषयक सुझाव के महत्वपूर्ण बिन्दु सम्मिलित होंगे। नीति में उल्लिखित प्रत्येक कार्य बिन्दु के सापेक्ष की गई प्रगति के आंकलन हेतु राज्य सरकार द्वारा तदनुसार सूचक विकसित किये जायेंगे। कृषि प्रसार कार्यक्रमों के सुदृढीकरण के क्रम में एकल विन्डो की व्यवस्था के रूप में किसान सहायकों की भूमिका को प्रोत्साहित किये जाने से संबंधित प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी। कृषि नीति के प्रभावी अगेतर क्रियान्वयन हेतु सभी विभाग कार्यक्रमवार समयबद्ध कार्यकारी योजनायें तैयार करेंगे।

Monitoring and Review

The present document outlining the Uttar Pradesh Agricultural Policy will be the foundation stone for the accelerated growth of agriculture sector every year for the next 10 years. The success of the policy will depend upon motivation and dedication in its implementation. A Working Group constituted under the Chairmanship of Additional Chief Secretary and Agriculture Production Commissioner will undertake a detailed review of the major highlights of the policy, including the availability of financial resources and efforts made to remove bottlenecks and will also make additional suggestions as necessary. The State Government will develop suitable indicators to assess the progress made against each action point. The role of Kisan Sahayak to work as single window for all extension activities will be reviewed from time to time. All departments will prepare time bound action plans in accordance with the Agriculture Policy for its effective implementation in the future.